HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16987/2025

S. Seethalakshmi W/o M. Devendra, R/o Flat No. 303, Golden Palace, Krishna Marg, Jaipur, Rajasthan. (At Present Accused is Lodged in Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

CBI, Through Special PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16575/2025

Muzammil S/o Shri Mohammad Yameen, Aged About 39 Years, R/o House No. 7B, Friends Colony, Gramin Police Line, Borkhera, Kota, Rajasthan. (At Present Confined in Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16868/2025

Rajendra Sisodiya S/o Shri Lal Singh Sisodiya, R/o Plot No. 25, Gopalbadi, Income Tax Colony-II, Model Town, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan. (Presently Confined in Central Jail, Jaipur)

----Petitioner

Versus

Union of India (C.B.I.), Through Special PP, Central Bureau of Investigation, Jaipur.

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1433/2026

Kailash Chandra Meena S/o Late Ram Kumar Meena, Aged About 58 Years, R/o Village Post, Police Station Rajaji, Tehsil Rajgarh, Alwar, Rajasthan, Presently Residing At Quarter No. 20, Income

Tax Colony, Jaipur, Rajasthan (At Present Lodged in Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

Central Bureau of Investigation, Through Public Prosecutor.

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1716/2026

Vijay Goyal S/o Shri Harish Chandra Goyal, Aged About 69 Years, R/o Plot No. 11, Gopal Nagar-A, Gopalpura Bypass, Nagar, Jaipur Rajasthan (Presently Accused Petitioner is Confined in Central Jail, Jaipur)

----Petitioner

Versus

Central Bureau of Investigation (CBI), Through Senior Public Prosecutor, Jaipur.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. V.R. Bajwa, Sr. Adv. Assisted by Mr. Sneh Deep Khyaliya, Adv. Mr. Siddharth Sharma, Adv. Ms. Savita Nathawat, Adv. Mr. Amar Kumar, Adv. Mr. Himanshu Choudhary, Adv. Mr. Sarvesh Jain, Adv. Mr. S.S. Hora, Adv. with Mr. T.C. Sharma, Adv. and Mr. Sahajveer Baweja, Adv. Mr. Samarth Sharma, Adv. with Mr. Mritunjya Sharma, Adv. Mr. Narendra Kumar Pareek, Adv. Mr. Deepak Chauhan, Adv. with Mr. Harsh Joshi, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Pradeep Kumar, Special PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

REPORTABLE

1.	**Arguments Concluded On:**	**04/02/2026**
2.	**Order Reserved On:**	**04/02/2026**
3.	**Full Order/Operative Part Pronounced:**	**Full Order**
4.	**Pronounced On:**	**25/02/2026**

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या RC 030 2025 A 0015 अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 8, 9, 10 एवं 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में पेश किये गये हैं।

2. चूंकि उक्त सभी जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः उक्त सभी जमानत आवेदनों का निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

3. प्रार्थीया/अभियुक्ता एस. सीतालक्ष्मी के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि वह निर्दोष है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीया/अभियुक्ता का नाम नहीं है, दिनांक 25.11.2025 को सूर्यास्त के पश्चात करीबन 9.30 बजे प्रार्थीया/अभियुक्ता के यहां केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा जांच की गयी, तब से उसे घर में निरूद्ध रखा गया और औपचारिक रूप से उसे दिनांक 26.11.2025 को प्रातः 10.32 ए.एम. पर गिरफ्तार किया गया। सूर्यास्त के पश्चात महिला की गिरफ्तारी की अनुमति सक्षम मजिस्ट्रेट से ली जा सकती है। इस प्रकरण में प्रार्थीया/अभियुक्ता को सूर्यास्त के पश्चात रात्रि में गिरफ्तारी की

अनुमति सक्षम मजिस्ट्रेट से प्राप्त नहीं की गयी है। धारा 43(5) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुसार महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से प्रार्थीया/अभियुक्ता की गिरफ्तारी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया/अभियुक्ता की गिरफ्तारी दूषित, विधि के प्रावधानों के विपरीत व अवैध होने के कारण प्रार्थीया/अभियुक्ता जमानत प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थीया/अभियुक्ता को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम नहीं है, रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके विरुद्ध कोई तथ्य नहीं कहे गये हैं तथा बिना किसी साक्ष्य व आधार के प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 3 प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता की औपचारिक गिरफ्तारी दिनांक 26.11.2025 को हुई और उक्त गिरफ्तारी से य़द्यपि 60 दिवस में विधि अनुसार प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध आरोप पत्र अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कर दिया गया है, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप पत्र के साथ दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिस कारण उक्त दस्तावेजों की प्रति प्रार्थीया/अभियुक्ता को आरोप पत्र की प्रति के साथ प्राप्त नही हो सकी। धारा 193(6) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित प्रावधानों के तहत अभियोजन पक्ष को आरोप पत्र के साथ समस्त दस्तावेज या सुसंगत दस्तावेज, जिन पर वह भरोसा रखता है, प्रस्तुत किये जाने होते हैं। उक्त दस्तावेज विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नही किये गये हैं। ऐसी स्थिति में आरोप पत्र (चालान) अधूरा होने के कारण धारा 193 भारतीय नागरिक

सुरक्षा संहिता (धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत संपूर्ण रूप से चालान प्रस्तुत किया जाना नहीं माना जा सकता है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश (सी.बी.आई.), क्रम–1, जयपुर महानगर प्रथम में दिनांक 23.01.2026 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसके साथ कोई दस्तावेज अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस पर प्रार्थीया/अभियुक्ता ने आरोप पत्र के साथ दस्तावेज की प्रति भी उपलब्ध कराने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2026 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2026 में अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप पत्र के साथ दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जाना बताया है और विचारण न्यायालय ने अनुसंधान अधिकारी को आगामी पेशी पर संपूर्ण कागजात न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया/अभियुक्ता की गिरफ्तारी दिनांक 26.11.2025 से 60 दिवस में आरोप पत्र की प्रति मय दस्तावेज, जिन पर अभियोजन पक्ष निर्भर करता है, प्रस्तुत नहीं किये जाने और उनकी प्रति प्रार्थीया/अभियुक्ता को नहीं मिलने के कारण धारा 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (173 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के तहत विधि अनुसार आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना नहीं माना जा सकता है। **M. Ravindran Vs. Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence [2021] 2 SCC 485** विनिश्चय में अभिनिर्धारित सिद्धांत के आधार पर प्रार्थीया/अभियुक्ता धारा 187(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत Default Bail के लिए मौखिक रूप से भी उच्च न्यायालय के समक्ष निवेदन कर सकती है, चाहे उसने उक्त तर्क विचारण न्यायालय में या उच्च न्यायालय में लिखित रूप से नहीं उठाया

हो। ऐसी स्थिति में धारा 187(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (167(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता) में वर्णित प्रावधानों के तहत प्रार्थीया/अभियुक्ता Default Bail प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

5. इसके अतिरिक्त प्रार्थीया/अभियुक्ता एक लोकसेवक है, गिरफ्तारी के समय वह आयकर अपीलीय अधिकरण (जिसे आगे 'अधिकरण' कहा जाएगा), जयपुर में न्यायिक सदस्य के रूप में पदस्थापित थी। प्रार्थीया/अभियुक्ता पर यह आरोप है कि उसने अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में पक्षकारों के प्रकरणों को उनके पक्ष में निर्णीत करने के लिए रिश्वत की मांग कर रिश्वत ग्रहण की। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार निवारण अनिधियम, 1988 (जिसे आगे 'अधिनियम, 1988' कहा जाएगा) की धारा 17(a) के अंतर्गत केन्द्र सरकार या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रार्थीया/अभियुक्ता से जांच, पूछताछ या अन्वेषण नहीं किया जा सकता है। फिर भी इस प्रकरण में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा केन्द्र सरकार या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्रार्थीया/अभियुक्ता से जांच, पूछताछ व अन्वेषण किये जाने के कारण उक्त विधिक प्रावधान का उल्लंघन होने के कारण प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध की गयी गिरफ्तारी व उसके विरुद्ध प्रस्तुत किया गया आरोप पत्र विधिक दृष्टि से दूषित है। इस आधार पर भी प्रार्थीया/अभियुक्ता जमानत का लाभ प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

6. प्रार्थीया/अभियुक्ता के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता को रंगे हाथों गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसकी गिरफ्तारी के समय कोई राशि की बरामदगी नहीं हुई

है। प्रार्थीया/अभियुक्ता ने ना तो किसी राशि की मांग की है और ना कोई राशि स्वीकार की है, उसकी गिरफ्तारी पश्चातवर्ती अनुसंधान और जब्ती के आधार पर की गयी है। ऐसी स्थिति में अधिनियम, 1988 की धारा 17(a) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और प्रार्थीया/अभियुक्ता के प्रकरण में उसके विरुद्ध अन्वेषण, जांच या पूछताछ करने से पूर्व अधिनियम, 1988 की धारा 17(a) के तहत पूर्व अनुमति नहीं लिये जाने और उक्त आज्ञापक प्रावधान की पालना नहीं किये जाने के कारण प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध की गयी संपूर्ण कार्यवाही दूषित होने से प्रार्थीया/अभियुक्ता जमानत प्राप्त करने की अधिकारिणी है। बहस के दौरान उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता आयकर अपीलीय अधिकरण में न्यायिक सदस्य है, उसे जजेज प्रोटेक्शन एक्ट, 1985 में वर्णित प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किये जाने व उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। फिर भी विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना प्रार्थीया/अभियुक्ता को गिरफ्तार किया जाना विधि विरुद्ध व अवैध होने व क्षेत्राधिकार से बाहर होने के आधार पर प्रार्थीया/अभियुक्ता जमानत प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

7. इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण के साथ वार्तालाप के आधार पर प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। टेलीकम्यूनिकेशन अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत टेलीफोन वार्तालाप की टैपिंग तभी अनुज्ञा योग्य है, जब लोक आपातकाल हो या जनता की सुरक्षा से संबंधित मामला हो। इस प्रकरण में ना तो लोक आपातकाल का मामला रहा है और ना ही लोक सुरक्षा का मामला रहा है। टेलीफोन को टैप करने का क्या आधार, क्या

औचित्य रहा है, इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा जो टेलीफोन टैप करने की आज्ञा निकाली गयी, वह विधि में वर्णित प्रावधानों के तहत गृह सचिव द्वारा निकाली जा सकती है, विशिष्ट सचिव द्वारा नहीं। इस प्रकरण में विशिष्ट सचिव द्वारा टेलीफोन टैप की आज्ञा निकालने के कारण उक्त आज्ञा व टेलीफोन टैप विधि विरुद्ध होने के आधार पर और उक्त टेलीफोन टैप के आधार पर दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा उसके आधार पर प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र विधि विरुद्ध होने के कारण प्रार्थीया/अभियुक्ता जमानत प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थीया/अभियुक्ता से 30 लाख रूपये की बरामदगी किया जाना बताया गया है, उक्त बरामदगी के किसी भी आधार को अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं जोड़ा गया है। अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अंतर्गत रिश्वत की राशि की मांग किये जाने व उसके स्वीकार किये जाने का तथ्य साबित करना आवश्यक है। किसी व्यक्ति से किसी राशि की जब्ती होने मात्र से अधिनियम, 1988 की धारा 7 में वर्णित अपराध साबित नहीं माना जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने व अन्य उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि केवल राशि की जब्ती पर ही कोई अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अंतर्गत अपराधी नहीं माना जा सकता, जब तक कि रिश्वत की राशि की मांग और उसे स्वीकार करना साबित नहीं हो। यदि प्रार्थीया/अभियुक्ता के पास 30 लाख रूपये बरामद भी हुए हैं और उसका आधार उसके पास नही है, तो प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति का मामला अन्य अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत बनाया जा सकता है, लेकिन अधिनियम, 1988 की धारा 7 का

आरोप प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया नही बनने के कारण प्रार्थीया/अभियुक्ता जमानत प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थीया/अभियुक्ता ने सहअभियुक्त विजय गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट से उक्त राशि ली हो, ऐसा कोई तथ्य कॉल डिटेल या सी.सी.टी.वी. फुटेज में सामने नही आया है। सहअभियुक्त विजय गोयल के निवास स्थान से प्रार्थीया/अभियुक्ता के निवास स्थान तक प्रार्थीया/अभियुक्ता ने किसी से सम्पर्क किया हो, उससे राशि प्राप्त की हो, इस संबंध में भी कोई अनुसंधान अन्वेषण अधिकारी ने नहीं किया है।

8. इसके अतिरिक्त प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा अन्वेषण अधिकारी के समक्ष या अभिरक्षा के दौरान प्रकट किये गये कोई तथ्य या पूछताछ नोट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत विधिक दृष्टि से मूल्यहीन होने के कारण प्रार्थीया/अभियुक्ता से की गयी जब्ती विधि विरुद्ध है। तृतीय पक्षकार सहअभियुक्त के कथन के आधार पर प्रार्थीया/अभियुक्ता से की गयी जब्ती कमजोर साक्ष्य है, जो धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अनिधियम, 1988 के अंतर्गत प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नही है। आयकर अपीलीय अधिकरण में न्यायिक सदस्य के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी होते हैं और कुल दो सदस्यों के कोरम के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया/अभियुक्ता को आरोपित किया जाना उचित नही है तथा आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश अपील योग्य होते हैं। प्रार्थीया/अभियुक्ता के मामले में अधिनियम, 1988 की धारा 17(1) व जजेज प्रोटेक्शन अधिनियम की धारा 2 व 3 की पालना नहीं किये जाने के कारण प्रार्थीया/अभियुक्ता जमानत प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के समान आरोपित अन्य

अभियुक्तगण को अनुसंधान अधिकारी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है और उनके विरुद्ध सीधे ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। इस प्रकरण में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप पत्र संख्या 1/2026, 2/2026 व 3/2026 प्रस्तुत किये गये हैं और प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध अन्वेषण भी विचाराधीन रखा गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया/अभियुक्ता जमानत प्राप्त करने की अधिकारिणी है। इस प्रकरण में प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति अभी तक प्राप्त नही हुई है, उसके अभाव में विद्वान विचारण न्यायालय प्रसंज्ञान नही ले सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया/अभियुक्ता को अनावश्यक अभिरक्षा में रखने का कोई औचित्य नही है। प्रार्थीया/अभियुक्ता 51 वर्षीय महिला है, दिनांक 26.11.2025 से अभिरक्षा में चल रही है, उससे कोई बरामदगी शेष नही है, उससे पूछताछ पूर्ण हो चुकी है, वह टाईप–2 डाईबिटीज, सिस्टमेटिक हाइपर टेंशन, मानसिक तनाव व अन्य बीमारियों से ग्रस्त है, उसे नियमित रूप से दवाईयां लेनी होती हैं और चिकित्सकीय सुपरविजन में कार्य करना होता है। ऐसी स्थिति में धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित प्रावधानों के तहत जमानत प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के भागने या गवाहों को डराने–धमकाने का कोई अंदेशा नही है। अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

9. प्रार्थीया/अभियुक्ता एस. सीतालक्ष्मी के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत कियेः–

1. P. Chidambaram v/s CBI; (2020) 13 SCC 337
2. Sanjay Chandra v/s CBI; (2012) 1 SCC 40

3. M. Ravindran v/s DRI; (2021) 2 SCC 485
4. Chitra Ramkrishna v/s CBI; 2022 SCC OnLine Del 3124
5. CBI v/s Chitra Ramkrishna; 2023 SCC OnLine SC 1168
6. Satya Narain Musadi v/s State of Bihar; (1980) 3 SCC 152
7. Amitbhai Anilchandra Shah v/s CBI & Anr.; (2013) 6 SCC 348
8. Kalvakuntla Kavitha v. ED; 2024 SCC OnLine SC 2269
9. A. Subair v. State of Kerala; (2009) 6 SCC 587
10. B. Jayaraj v. State of A.P.; (2014) 13 SCC 55
11. Aman Bhatia v. State NCT of Delhi; 2025 SCC OnLine SC 1013
12. State of Lokayukta v. C.B. Nagraj; 2025 SCC OnLine SC 1175
13. G. Santosh Kumar v. State of Kerala; (2021) 2 HCC (Ker) 130
14. E.S. Sanjeeva Rao v/s CBI; Mumbai; 2012 SCC OnLine Bom 1908
15. Ranidan Singh v. State of Raj. Through PP; S.B. Criminal Misc. (Pet.) No.1219/2022; Order dated 08.10.2024
16. Himanshu Yadav v. State of Raj.; S.B. C.W.P. No.17545/2021; Order dated 19.01.2022
17. Vinod Singh v. State of Raj.; S.B. Criminal Misc. Petition No.364/2023
18. P. Kishore v. UOI; 2025 SCC OnLine Mad 3053
19. Hukum Chand v. UOI; (1976) 2 SCC 128
20. K.L.D. Nagasree v. Govt of India; 2006 SCC OnLine AP 1085
21. Govt of India v. K.L.D. Nagasree; 2023 SCC OnLine AP 1834 (Division Bench)
22. Dr. L. Praveen Kumar v. CBI; Bail Appln. 2202/2022; Order dated 06.09.2022
23. Surendra Kumar Sharma v. State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. 3rd Bail Application No. 12032/2025; Order dated 08.10.2025
24. Dr. Amit Kumar Singal v. CBI; 2025 SCC Online P&H 5826

25. Sahi Ram v. State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. Bail App. No. 4065/2019; Order dated 03.04.2019
26. Jogaram Meena v. State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. Bail App. No. 6828/2025; Order dated 14.08.2025
27. Bhanwar Lal Meharda v. State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. Bail App. No. 8015/2021; Order dated 26.07.2021
28. Kamlesh Chaudhary v. State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. Bail App. No. 16464/2019; Order dated 10.02.2020
29. Kamlesh Chaudhary v. State of Rajastha; Criminal Appeal No. 15/2021; Order dated 05.01.2021
30. R. Vasudevan v. CBI; Bail Application No. 2381/2009; Order dated 14.01.2010

10. प्रार्थी/अभियुक्त मुजम्मिल के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त से कोई राशि जब्त नही की गयी है, उस पर केवल मात्र यह आरोप है कि उसने अपने पक्ष में निर्णय पारित करवाने के लिए हवाला के माध्यम से सहअभियुक्त राजेन्द्र सिसोदिया, एडवोकेट को 5.5 लाख रूपये भेजे हैं। उक्त राशि हवाला के माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्त मुजम्मिल ने ही भेजी है, यह तथ्य इस स्तर पर स्पष्ट नही हुआ है, ना ही हवाला के माध्यम से रूपये भेजने के संबंध में तथ्यों की कड़ी से कड़ी अन्वेषण अधिकारी द्वारा जोड़ी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त ने हवाला के माध्यम से कोई राशि नही भिजवायी है। सुहानी मेहरवाल व मनीष शर्मा, जिन पर आरोपित अपराध प्रार्थी/अभियुक्त के समान हैं, उन्हें गिरफ्तार नही कर केवल आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त को बिना किसी आधार के गिरफ्तार कर उसके साथ भेदभाव किया गया है। हवाला के माध्यम से जिसने भी राशि भेजी, जिसने भी राशि प्राप्त की, उनको गिरफ्तार नही किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त मुजम्मिल को

उनसे अन्वेषण के दौरान लिंक नही किया गया है। हवाला के माध्यम से राशि प्रार्थी/अभियुक्त ने ही भेजी हो, यह स्पष्ट नही है। अधिनियम, 1988 की धारा 7(a) प्रार्थी/अभियुक्त पर प्रथम दृष्टया लागू नही होती है, क्योंकि प्रार्थी/अभियुक्त ने ना तो रिश्वत की मांग की और ना रिश्वत की राशि ली। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र के साथ दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये हैं, ऐसी स्थिति में अधूरा आरोप पत्र होने के कारण संपूर्ण आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना नही मानकर प्रार्थी/अभियुक्त धारा 187(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (167(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के तहत Default Bail प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है, उसके द्वारा गवाहों को डराने–धमकाने का कोई अंदेशा नही है, वह दिनांक 26.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध अन्वेषण जारी रखा गया है। प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नही हुई है, उसके बिना विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान नही लिया जा सकता है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त मुजम्मिल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

11. प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र सिसोदिया के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त आयकर अपीलीय अधिकरण में निष्ठा व ईमानदारी से अधिवक्ता के रूप में अपने व्यावसायिक कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा गोपनीय स्रोत के आधार पर बिना प्रारंभिक जांच व सत्यापन के विधिक सिद्धांतों के विपरीत विधि–विरुद्ध तरीके से दिनांक 25.11.2025 को गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी भी लंबित व

निर्णीत प्रकरण में किसी भी पक्षकार से कोई रिश्वत की राशि की मांग नहीं की है, ना ही स्वीकार की है। बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के व स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति के अभाव में अन्य सह–अभियुक्तगण की सूचना के आधार पर विधि–विरुद्ध तरीके से प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से जब्त की गई 5.5 लाख रूपये की राशि उसके द्वारा वकालत के व्यवसाय से फीस के रूप में प्राप्त की गई राशि है, जो प्रार्थी/अभियुक्त के दस्तावेजों में उल्लेखित है। प्रार्थी/अभियुक्त को रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया है। उसकी टेलीफोन वार्ता की विधिक रूप से जांच नहीं हुई है। उसके द्वारा वकालत के व्यवसाय से अर्जित की गई फीस को अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अंतर्गत आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 25.11.2025 से अभिरक्षा में है, उसके भागने या गवाहों को डराने धमकाने का कोई अंदेशा नहीं है। उसने किसी सक्षम प्राधिकारी से अपने पक्ष में या किसी पक्षकार के पक्ष में निर्णय पारित कराने का प्रयास किया हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है। अन्य अभियुक्तगण से मिलकर प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई आपराधिक षड्यंत्र किया हो, यह भी स्पष्ट नही है। प्रार्थी/अभियुक्त अधिवक्ता है, समाज में प्रतिष्ठा रखता है, उसके विरुद्ध अग्रिम अनुसंधान किये जाने का कोई न्यायसंगत उचित आधार नही है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में अन्य अभियुक्तगण वरूण मोहन गुप्ता, प्रवीण कुमार लाम्बा को गिरफ्तार किये बिना आरोप पत्र प्रस्तुत करके अभियोजन पक्ष द्वारा भेदभाव किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी जिसके द्वारा की गयी है, वही अन्वेषण अधिकारी है। प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने

हवाला के माध्यम से भेजी गयी रिश्वत की राशि 5.5 लाख रूपये मांगकर प्राप्त किये। उस पर प्रार्थी/अभियुक्त से 6,38,900/— रूपये नकद बरामद किये गये हैं। अनुसंधान में प्रार्थी/अभियुक्त पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने 5.5 लाख रूपये सहअभियुक्त मुजम्मिल से रिश्वत की राशि मांगी और एक आई—फोन 17 प्रो मैक्स 512 जीबी लिया। ऐसी स्थिति में रिश्वत की राशि प्राप्त करने के संबंध में भिन्नता है। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप पत्र के साथ दस्तावेज पेश नही किये गये हैं, जो अधूरी चार्जशीट होने के कारण प्रार्थी/अभियुक्त धारा 187(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (167(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के तहत Default Bail प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

12. प्रार्थी/अभियुक्त कैलाश चंद्र मीणा के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को अज्ञात गोपनीय सुत्रों के आधार पर बिना किसी न्यायसंगत उचित आधार के उसके लोकसेवक होने के आधार पर अधिनियम, 1988 की धारा 17(a) के अंतर्गत अन्वेषण, पूछताछ, जांच की स्वीकृति लिये बिना दिनांक 02.12.2025 को गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त आयकर अपीलीय अधिकरण (जिसे आगे 'अधिकरण' कहा जाएगा) में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थापित है। उसका कार्य प्रशासनिक कार्य को देखना है, अधिकरण में निर्णय पारित करने का उसे कोई विधिक अधिकार नही है। उसके द्वारा रिश्वत की मांग किया जाना या स्वीकार किया जाना साबित नही है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से रिश्वत की कोई राशि बरामद नही हुई है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उसकी

तलाशी के दौरान सोना, ज्वैलरी व 3,60,770/— रूपये मिले थे, जो प्रार्थी/अभियुक्त के ही होने के कारण उसे वापस लौटा दिये गये। अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 25.11.2025, 26.11.2025, 30.11.2025 व 01.12.2025 को उपस्थित हुआ था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से ना तो कोई सामान बरामद हुआ है ना ही कोई रिश्वत की राशि बरामद की गयी है। ऐसी स्थिति में बिना किसी न्यायिक आधार के नोटिस दिये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 02.12.2025 को सांयकाल गिरफ्तार कर लिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध 7 वर्ष तक की सजा के दण्डनीय अपराध का आरोप है, धारा 35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (41(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) में वर्णित आज्ञापक प्रावधान के तहत प्रार्थी/अभियुक्त को नोटिस दिये बिना गिरफ्तार किये जाने के कारण प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी अवैध होने के कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसकी स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन होने से प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिनियम, 1988 की धारा 7 के आवश्यक तत्वों में रिश्वत की मांग किया जाना और स्वीकार किया जाना प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध स्पष्ट नही हुआ है, ना ही इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य आयी है। स्वप्रेरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों नही पकड़ा गया है। एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में अलग—अलग आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन दूषित है।

13. प्रार्थी/अभियुक्त कैलाश चंद्र मीणा के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ

मिलकर रिश्वत की मांग करने और प्राप्त करने का कोई आपराधिक कृत्य किया हो, यह साबित नही है। प्रार्थी/अभियुक्त पर सूत्र द्वारा बताये गये और अन्वेषण के दौरान प्रकट तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर आरोप बनना पाया गया है, जिसका कोई आधार नही है। प्रार्थी/अभियुक्त पर जो आरोपित अपराध है, वे अपराध वरूण मोहन गुप्ता, सुहानी मेहरवाल, प्रवीण कुमार लाम्बा, मनीष शर्मा के विरूद्ध भी हैं, लेकिन उनको लाभ देते हुए गिरफ्तार नही किया गया है और उनके विरुद्ध सीधे ही आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 193(9) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अन्वेषण लंबित रखा गया है, उसके विरुद्ध अनिश्चित काल तक अन्वेषण जारी नही रखा जा सकता है। उसके विरुद्ध आरोप पत्र के साथ संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने के कारण उसे संपूर्ण आरोप पत्र की श्रेणी में नही माना जाकर निर्धारित अवधि में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना नही मानकर प्रार्थी/अभियुक्त धारा 187(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (167(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के तहत Default Bail प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी/अभियुक्त को अधिकरण में न्यायिक निर्णय करने का अधिकार प्राप्त नही है, वह अधिकरण के सदस्य, जो न्यायिक निर्णय पारित करते थे, उनको प्रभावित करने की स्थिति में हो या उनको प्रभावित करके प्रवीण कुमार लाम्बा के मामले में अनुकूल आदेश पारित करने के एवज में मनीष कुमार प्राईवेट अकाउंटेंट से 1.25 लाख रूपये की रिश्वत की मांग की हो, यह स्पष्ट नही है। सहअभियुक्तगण की सूचना के आधार पर व साक्षीगण के धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयानों के आधार पर व टेलीफोनिक वार्ता के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को आरोपी नही माना जा सकता

है। इस प्रकरण में पवन राठौड़ को सीबीआई ने साक्षी बनाया है और उस पर यह आरोप है कि उसने रिश्वत के 1.25 लाख रूपये सुहानी मेहरवाल को दिये थे, उसे सीबीआई ने अभियुक्त नही बनाया, बल्कि उसे फायदा पहुंचाने के लिए गवाह बना दिया। धारा 343 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (306 दण्ड प्रक्रिया संहिता) में वर्णित प्रावधानों के तहत पवन राठौड़ को विधि अनुसार अप्रूवर नही बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रतीक्षारत है, कब तक अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होगी, यह निश्चित नही है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सहअभियुक्तगण को अभी नोटिस जारी किये गये हैं। अभियोजन स्वीकृति के अभाव में विद्वान विचारण न्यायालय प्रसंज्ञान लेकर अग्रिम कार्यवाही नही कर सकता है। सहअभियुक्तगण को नोटिस तामील हुए बिना उनकी उपस्थिति न्यायालय में हुए बिना प्रार्थी/अभियुक्त के प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नही की जा सकती है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपि अपराध में 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, उसके विरुद्ध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय अपराध का आरोप नही है। विधायिका ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को गंभीर नही माना है। एम.एल.ए. अधिनियम व एन.डी.पी.एस. अधिनियम में जमानत स्वीकार किये जाने हेतु विनिर्दिष्ट प्रतिबंध विधायिका द्वारा लगाये गये हैं, लेकिन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में विधायिका ने जमानत नही दिये जाने के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट प्रावधान नही किये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त लोकसेवक है, अधिनियम, 1988 की धारा 17(a) के तहत प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्वेषण, पूछताछ और जांच किये जाने से पूर्व आज्ञापक अनुमति नही ली गयी है और उसे विधि विरुद्ध तरीके से गिरफ्तार किया गया है।

ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 62 के तहत प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी अवैध है। दिनांक 09.10.2025 को प्रार्थी/अभियुक्त का मोबाईल सर्विलांस पर रखा गया और नवम्बर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नही है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 02.12.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, उससे कोई बरामदगी नही हुई है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त कैलाश चंद्र मीणा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

14. प्रार्थी/अभियुक्त कैलाश चंद्र मीणा के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत कियेः—

1. Enforcement Directorate Vs Kapil Wadhawan and Another; (2024) 7 SCC 147
2. Satender Kumar Antil Vs. CBI & Anr.; (2022) 10 SCC 51
3. Rakhi Mitra and Anr. Vs. State of West Bengal 2025 SCC Online Cal 7843
4. Deep Jyoti Nath Vs. The State of Assam; Bail Application No. 480/2023
5. Jagdish Shrivastav Vs. The State of Maharashtra & Anr.; Slp (Crl.) 1758/2022
6. Chandra Deepak Kochar Vs. CBI; 2023 SCC Online Bom 72
7. V. Senthil Balaji Vs Directorate of Enforcement; 2024 SCC Online SC 2626
8. Manish Sisodia Vs. Directorate of Enforcement; (2024) 12 SCC 660
9. Arvind Kejriwal Vs CBI; 2024 SCC Online SC 2550
10. Kailash Chandra Agarwal Vs State of Rajasthan; CRLMP 159/2018
11. Ranidan Singh Vs State of Rajasthan & Anr.; CRLMP 1219/2022

12. Sharif Ahmed & Anr. Vs. State of Uttar Pradesh; AIR 2024 SC 2420

15. प्रार्थी/अभियुक्त विजय गोयल के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त लोकसेवक नही है और चार्टर्ड अकाउंटेंट का व्यवसाय करता है। वह आयकर अपीलीय अधिकरण में ना तो कर्मचारी है ना ही प्रशासनिक दृष्टि से उसका अधिकरण से किसी प्रकार का कोई संबंध है और ना ही वह अधिवक्ता है। अधिकरण के निर्णय व प्रक्रिया में उसका किसी प्रकार का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नही है। अन्वेषण में किसी भी स्तर पर उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नही आयी है। उससे कोई रिश्वत की राशि बरामद नही हुई है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के 44 दिन पश्चात उसे बिना किसी न्यायसंगत उचित आधार के दिनांक 07.01.2026 को गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त 69 वर्षीय वृद्ध है और कई बीमारियों से ग्रस्त है, न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के भागने या गवाहों को डराने–धमकाने का कोई अंदेशा नही है। प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने गोकुल कृपा ग्रुप की अपीलों के निस्तारण हेतु 30 लाख रूपये अधिकरण की न्यायिक सदस्य को अपने निवास स्थान पर दिये। प्रार्थी/अभियुक्त के निवास स्थान से अधिकरण की न्यायिक सदस्य से कोई बरामदगी नही हुई है, सीसीटीवी फुटेज में अधिकरण की न्यायिक सदस्य के साथ प्रार्थी/अभियुक्त दिखाई नही दिया है। जब अधिकरण की न्यायिक सदस्य को रिश्वत देना बताया गया है, उस समय प्रार्थी/अभियुक्त घर पर मौजूद था, इस संबंध में किसी व्यक्ति के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बयान नही लिये गये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को उसे रिश्वत की राशि देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार

नही किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने रिश्वत की राशि की मांग की हो, उसे स्वीकार किया हो, इस प्रकार की साक्ष्य नही होने और उसके लोकसेवक नहीं होने के कारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के आवश्यक तत्व प्रार्थी/अभियुक्त पर लागू नही होते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी से पूर्व नोटिस दिये जाने के आज्ञापक प्रावधान की पालना नही की गयी है। ऐसी स्थिति में उसे बिना किसी आधार के न्यायिक अभिरक्षा में रखना उसके भारतीय संविधा के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त मूल अधिकार के विपरीत है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, उससे कोई बरामदगी शेष नही है, सहअभियुक्तगण की सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है, जिसका विधिक दृष्टि से कोई साक्षिक मूल्य नही है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर जमानत अभियुक्त का विधिक अधिकार है, उसे जेल में रखना अपवाद है। सीबीआई ने गोकुल कृपा बिल्डर्स एवं कॉलोनाइजर्स के निदेशक सुमेर सिंह सैनी को गिरफ्तार नही किया है, जो अधिकरण द्वारा दिनांक 13.11.2025 को पारित आदेश का लाभार्थी है। सुमेर सिंह सैनी ने प्रार्थी/अभियुक्त को रिश्वत की राशि दी, इस संबंध में कोई अनुसंधान नही किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध कारित करने में नाम नही है। प्रकरण में अभी अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नही हुई है, अन्य सहअभियुक्तगण को नोटिस जारी किये जा रहे हैं, उनकी अभी उपस्थिति विचारण न्यायालय में नही आयी है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से दो मोबाईल जब्त किये गये हैं, उन मोबाईल से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त नही हुई है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त विजय गोयल द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

16. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजन का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता एस. सीतालक्ष्मी के विरुद्ध विचारण न्यायालय में आरोप पत्र संख्या 3/2026 अंतर्गत धारा 61(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अनिधियम, 1988 में प्रस्तुत किया गया है। मैसर्स यश अक्षय बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, कोटा से जुड़ी चार अपीलें, जिनका प्रतिनिधित्व श्री राजेन्द्र सिसोदिया कर रहे थे, उनकी सुनवाई आयकर अपीलीय अधिकरण की न्यायिक सदस्य डॉ. एस. सीतालक्ष्मी और लेखाकार गगन गोयल की पीठ कर रही थी। दिनांक 03.11.2025 को श्री राजेन्द्र सिसोदिया ने उक्त कंपनी के निदेशक श्री आलोक जैन के सीए श्री गौरव जैन से सम्पर्क किया और अधिकरण के लेखाकार सदस्य गगन गोयल से अनुकूल आदेश का वादा करते हुए 35 लाख रूपये रिश्वत की मांग की। अंत में उक्त कंपनी 31 लाख रूपये रिश्वत के रूप में देने के लिए सहमत हुई। उन्होंने राजेन्द्र सिसोदिया, एडवोकेट को उक्त रिश्वत की राशि की रकम दी, जो अधिकरण के लेखाकार सदस्य श्री गगन गोयल व सहायक रजिस्ट्रार के.सी. मीणा को दी गयी। प्राप्त विश्वसनीय सूचना से यह पता चला कि अधिकरण में व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता राजेन्द्र सिसोदिया व सहायक रजिस्ट्रार के.सी. मीणा के द्वारा अन्य अज्ञात लोकसेवकों व निजी व्यक्तियों से मिलकर एक आपराधिक नेटवर्क तैयार कर रखा है और वे अधिकरण में लंबित अपीलों को निपटाने के लिए अपीलकर्ताओं से रिश्वत मांगते है और रिश्वत स्वीकार करने के उद्देश्य से साजिश रचकर अधिकरण के विभिन्न सदस्यों से अनुकूल आदेश दिलवाने का वादा करते हैं। इसी प्रक्रम में अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिसोदिया ने

सहअभियुक्त मुजम्मिल से 512 जीबी स्टोरेज वाले आई–फोन 17 प्रो–मैक्स की व्यवस्था करने को कहा, जो बैंच की न्यायिक सदस्य डॉ. एस. सीतालक्ष्मी को दिया जा सके। अन्वेषण के दौरान दिनांक 25.11.2025 को रात्रि 9.00 बजे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम प्रार्थीया/अभियुक्ता के घर पहुंची तो वह घर पर नही थी। थोड़ी देर बाद वह सरकारी गाड़ी मारूति सियाज कार से घर पहुंची, तब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो टीम द्वारा उसकी गाड़ी को कब्जे में लिया गया, उसके फ्लैट की तलाशी ली गयी। कार की पिछली सीट पर काले रंग का बैग रखा हुआ पाया गया, जिसमें 30 लाख रूपये की धनराशि मिली। प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा यह बताया गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री विजय गोयल द्वारा अधिकरण में उसकी व अन्य सदस्य कमलेश राठौड़ की पीठ में गोकुल कृपा ग्रुप केसेज में अपीलों को स्वीकार किये जाने के एवज में कुल 50 लाख रूपये की पेशकश की गयी थी और तद्नुरूप उन अपीलों को स्वीकार किया गया था। उक्त 50 लाख रूपये में से 30 लाख रूपये डॉ. एस. सीतालक्ष्मी को व 20 लाख रूपये बैंच के अन्य सदस्य कमलेश राठौड़ को दिये जाने थे। इसलिए सहअभियुक्त विजय गोयल द्वारा प्रार्थीया/अभियुक्ता को उक्त राशि दी गयी थी, जो प्रार्थीया/अभियुक्ता काले रंग के बैक में विजय गोयल के घर से लेकर आयी थी। सहअभियुक्त कमलेश राठौड़ के निवास स्थान से तलाशी के दौरान 21,71,750/– रूपये मिले, जिनमें से 20 लाख रूपये एक साथ एक स्थान पर पाये गये हैं। प्रार्थीया/अभियुक्ता की बैंच ने गोकुल कृपा ग्रुप के पक्ष में आदेश पारित करते हुए 90 करोड़ रूपये की पैनल्टी राशि माफ कर दी। प्रार्थीया/अभियुक्ता के सरकारी वाहन के चालक मुकेश कुमार डाबोरिया ने विजय कुमार गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट के

निवास से उक्त जब्त राशि का बैग लाना बताया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के कब्जे से 30 लाख रूपये व आई–फोन बरामद हुआ है। प्रार्थीया/अभियुक्ता की अन्य सहअभियुक्तगण से लगातार कॉल, मैसेज व मुलाकात हुई है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के बताए अनुसार अधिकरण के अन्य सदस्य कमलेश राठौड़ ने पारस शाह द्वारा हवाला के माध्यम से 50 लाख रूपये की धनराशि डॉ. एस. सीतालक्ष्मी की बहन जयश्री को चेन्नई में भिजवाई थी।

17. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का यह भी तर्क रहा है कि गोपनीय सूत्रों से यह ज्ञात हुआ कि अधिकरण में सहायक रजिस्ट्रार कैलाश चंद्र मीणा ने अन्य लोकसेवकों व निजी व्यक्तियों से मिलकर एक आपराधिक नेटवर्क तैयार कर रखा है और वे अधिकरण में लंबित अपीलों को निपटाने के लिए अपीलकर्ताओं से रिश्वत मांगते है और रिश्वत स्वीकार करने के उद्देश्य से साजिश रचकर अधिकरण के विभिन्न सदस्यों से अनुकूल आदेश दिलवाने का वादा कर रहे हैं। इस पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सक्षम प्राधिकारी से वाट्सएप चैट व फोन टैप की अनुमति ली गयी। विशिष्ट सचिव वाट्सएप चैट व टेलीफोन रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं दे सकता हो, इसे प्रार्थीया/अभियुक्ता ने स्पष्ट नहीं किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया है कि एक प्रथम सूचना रिपोर्ट में विभिन्न घटनाओं और तथ्यों के आधार पर विभिन्न व्यक्ति अंतर्वलित होते हैं, तो उनके विरुद्ध पृथक–पृथक रूप से आरोप पत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं। अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिसोदिया द्वारा प्रार्थीया/अभियुक्ता को उपहार में जो नेकलेस दिया गया, वह नेकलेस प्रार्थीया/अभियुक्ता के निवास स्थान से बरामद हुआ है। प्रार्थीया/अभियुक्ता व अधिवक्ता राजेन्द्र सिसोदिया

के मध्य वाट्सएप चैट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता ने राजेन्द्र सिसोदिया के माध्यम से अनुचित उपहार व अन्य राशि प्राप्त की है। गोकुल कृपा ग्रुप के केसेज के निस्तारण के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट विजय गोयल द्वारा रिश्वत में दी गयी 30 लाख रूपये की राशि प्रार्थीया/अभियुक्ता के निवास से राजकीय वाहन से उसके कब्जे से मिली है और उक्त राशि प्रार्थीया/अभियुक्ता सहअभियुक्त विजय कुमार गोयल के यहां रात्रि में भोजन करके लौटते समय काले बैग में लेकर घर पहुंची थी। प्रार्थीया/अभियुक्ता के कब्जे से उक्त 30 लाख रूपये, एक आई–फोन 17 प्रो–मैक्स (512 जीबी) व नेकलेस बरामद हुआ है। गोकुल कृपा ग्रुप के मामलों को प्रार्थीया/अभियुक्ता ने निस्तारित कर उनकी 90 करोड़ की पैनल्टी की राशि माफ कर दी। प्रार्थीया/अभियुक्ता के ड्राईवर मुकेश कुमार डाबोरिया के बयान, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में प्रार्थीया/अभियुक्ता से की गयी 30 लाख रूपये की बरामदगी से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता ने उक्त राशि रिश्वत के रूप में स्वीकार की है। उक्त राशि प्रार्थीया/अभियुक्ता को कहां से प्राप्त हुई, इसका उसने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता की गिरफ्तारी दिनांक 26.11.2025 को सुबह 10.32 बजे की गयी थी, सूर्यास्त के पश्चात नहीं की गयी थी। ऐसी स्थिति में सूर्योदय के पश्चात प्रार्थीया/अभियुक्ता के गिरफ्तार होने के कारण प्रार्थीया/अभियुक्ता की गिरफ्तारी से पूर्व सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति लिया जाना आवश्यक नही था। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया/अभियुक्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है और वह जमानत प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रार्थीया/अभियुक्ता के घर में रात

को तलाशी ली गयी, उससे यह नही माना जा सकता है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम द्वारा अभिरक्षा में रखा गया हो। प्रार्थीया/अभियुक्ता ने रिश्वत की राशि पदीय कर्तव्य के निर्वहन में नहीं ली है, अर्थात लोकसेवक के हैसियत से पदीय कर्तव्य के निर्वहन में प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा लोकसेवक की हैसियत से कर्तव्य के निर्वहन के दौरान कोई आपराधिक कृत्य किया जाता, तो अधिनियम, 1988 की धारा 17(a) के तहत अन्वेषण, पूछताछ व जांच हेतु अनुमति लेने की आवश्यकता होती, परंतु प्रार्थीया/अभियुक्ता ने न्यायिक निर्णयों को पक्षकारों के पक्ष में निर्णीत करने के एवज में रिश्वत की राशि प्राप्त की है। ऐसी स्थिति में अधिनियम, 1988 की धारा 17(a) के तहत अन्वेषण, जांच व पूछताछ के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक नही है।

18. उनका यह भी तर्क रहा है कि यह स्वीकृत स्थिति है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरुद्ध तीन आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जो आरोपित अपराध के आधार पर 60 दिवस की अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं। चूंकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विस्तृत अन्वेषण किया जाता है और काफी अधिक दस्तावेज संकलित होते हैं, इस कारण आरोप पत्र प्रस्तुत करते समय संबंधित लिपिक द्वारा उन्हें चैक करते समय प्राप्त किया जाना संभव नहीं होता है और उक्त सारी कार्यवाही एक दिन में संभव नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने के दिन संपूर्ण दस्तावेज, जिन पर अभियोजन पक्ष निर्भर करता है, प्रस्तुत नहीं किये जा सके। इस संबंध में इन तथ्यों का उल्लेख करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 23.01.2026 के द्वारा

अन्वेषण अधिकारी को आगामी तारीख पेशी पर संपूर्ण कागजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया। दस्तावेज पेश करने की अनुमति विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिये जाने के कारण तथा आरोप पत्र के साथ संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रार्थीया/अभियुक्ता धारा 187(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (167(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के तहत Default Bail प्राप्त करने की अधिकारिणी नही हो सकती है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने विभिन्न विनिश्चयों में इस तथ्य को अभिनिर्धारित किया है।

19. विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का यह भी तर्क रहा है कि विधिनुसार एक प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रकरण के तथ्यों, अभियुक्त के आपराधिक कृत्य व घटना के आधार पर पृथक–पृथक आरोप पत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया/अभियुक्ता के कब्जे से रिश्वत के रूप में उपहार स्वरूप लिया गया नेकलेस व आई–फोन 17 प्रो मैक्स (512 जीबी) व 30 लाख रूपये बरामद हुए हैं। अनुसंधान के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त उपहार व राशि रिश्वत की राशि है। ऐसी स्थिति में अधिनियम, 1988 की धारा 7 में वर्णित प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से उक्त उपहार व राशि की मांग किया जाना व स्वीकार किया जाना आवश्यक नही है। अनुसंधान के दौरान आई साक्ष्य, टेलीफोन वार्ता, वाट्सएप मैसेज, सीसीटीवी फुटेज व साक्षीगण के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता के कब्जे से प्राप्त उपहार व नकद राशि उसके कोई ज्ञात स्रोत से अर्जित नही है तो अज्ञात स्रोत के आधार पर यह माना जाएगा कि उक्त उपहार व राशि रिश्वत की राशि है। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ना

आवश्यक नही है और अधिनियम, 1988 की धारा 17 के तहत गिरफ्तारी से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिया जाना भी आवश्यक नही है। चूंकि प्रार्थीया/अभियुक्ता का आपराधिक कृत्य उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में नही किया गया है तथा आयकर अपीलीय अधिकरण अर्द्ध न्यायिक अर्द्ध प्रशासनिक अधिकरण है, उसे पूर्णतः न्यायिक अधिकरण नही माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में जजेज प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत प्रार्थीया/अभियुक्ता को विधिक संरक्षण प्राप्त नही है। रिश्वत की राशि प्राप्त करने में या मांगने में लोक हानि व लोक सुरक्षा का प्रश्न अंतर्वलित रहता है, क्योंकि ऐसा अपराध आर्थिक अपराध होने के कारण उसका विस्तृत प्रभाव जनता पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया/अभियुक्ता के वाट्सएप चैट, कॉल, टेलीफोन कॉल इत्यादि को टैप या रिकॉर्ड किया गया था, जो अवैध नही माना जा सकता है। प्रार्थीया/अभियुक्ता का आपराधिक कृत्य अत्यंत गंभीर है, उसके कब्जे से रिश्वत के उपहार व 30 लाख रूपये जब्त हुए हैं, उसके महिला होने मात्र से वह जमानत प्राप्त करने की अधिकारिणी नही मानी जा सकती है। विधि अनुसार उसके विरुद्ध अभी अन्वेषण जारी रखा गया है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो अन्वेषण विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है, वह गवाहों को डरा–धमका सकती है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के ऐसी कोई बीमारी नही है, जो असहनीय हो और जिसका इलाज जेल में रहते हुए संभव नही हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

20. प्रार्थी/अभियुक्त मुजम्मिल के संबंध में विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त मुजम्मिल के

मोबाईल फोन से वाट्सएप चैट और कॉल बरामद हुई है, उक्त चैट व अन्य साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मुजम्मिल ने आयकर अपीलीय अधिकरण जयपुर से अपने पक्ष में निर्णय कराने के लिए हवाला के जरिये सहअभियुक्त राजेन्द्र सिसोदिया को 5.5 लाख रूपये की राशि दी है, जो राजेन्द्र सिसोदिया के कब्जे से बरामद हुई है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि मुजम्मिल ने अपने पक्ष में निर्णय पारित कराने के लिए एडवोकेट राजेन्द्र सिसोदिया को हवाला के माध्यम से रिश्वत की राशि दी है।

21. प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र सिसोदिया के संबंध में विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि गोपनीय स्रोत से यदि भ्रष्टाचार के बारे में कोई सूचना या शिकायत प्राप्त होती है और कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि अभियुक्त को रंगे हाथों पकड़ना होता है, ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक जांच किये जाने की स्थिति में अनुसंधान निष्फल हो सकता है और अभियुक्त को बचाव का मौका मिल सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय का ऐसा विनिश्चय नही है कि ऐसी परिस्थितियों में प्रारम्भिक जांच किये बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही करवायी जा सकती। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

22. प्रार्थी/अभियुक्त कैलाश चंद्र मीणा के संबंध में विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त, जो अधिकरण में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर है, वह राजेन्द्र सिसोदिया के माध्यम से व अन्य

चार्टर्ड अकांउटेंट्स के माध्यम से रिश्वत मांगता व प्राप्त करता और अधिकरण के न्यायिक सदस्यों और अन्य सदस्यों को प्रभाव में लेकर रिश्वत की राशि अधिकरण के सदस्यों को अदा कर पक्षकारों के पक्ष में निर्णय पारित करवाता है, उसमें अपीलकर्ता प्रवीण कुमार लाम्बा के सी.ए. मनीष शर्मा के माध्यम से सुहानी मेहरवाल सी.ए. के जरिये 1.25 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग की और उक्त राशि प्राप्त की। अनुसंधान के दौरान टैलीफोनिक कॉल व वाट्सएप मैसेज से यह तथ्य सामने आया है कि कैलाश चंद्र मीणा ने चार्टर्ड अकांउटेंट्स से संपर्क कर अधिकरण के सदस्यों से संपर्क कर रिश्वत की राशि की मांग की तथा अधिकरण के सदस्यों से उनके पक्ष में निर्णय पारित करवाये।

23. प्रार्थी/अभियुक्त विजय गोयल के संबंध में विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने गोकुल कृपा ग्रुप के पक्ष में निर्णय पारित करने की एवज में गोकुल कृपा ग्रुप से 50 लाख रूपये की राशि ली, जिसमें से 30 लाख रूपये अधिकरण के न्यायिक सदस्य को दिये, जो न्यायिक सदस्य एस.सीतालक्ष्मी के कब्जे से उसके निवास पर राजकीय वाहन से बरामद हुए। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर किस्म के हैं, लोकसेवक होने के नाते रिश्वत की मांग करना या प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, यदि अन्य व्यक्ति भी अनुचित राशि प्राप्त करता है या मांग करता है तो वह अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अंतर्गत अपराधी माना जायेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न विनिश्चयों के तहत प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को आरोप पत्र के साथ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर उसे अधूरी चार्जशीट मानकर आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना मानकर धारा 187(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (167(2) दण्ड प्रक्रिया

संहिता) के तहत Default Bail प्राप्त करने के अधिकारी नहीं माना है। प्रकरण में अन्य अपराधियों को अभियुक्त बनाया गया है, उनके गिरफ्तारी के कोई आधार नहीं थे, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। पवन राठौड़ द्वारा अभियोजन पक्ष का सहयोग करने के कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध आपराधिक तथ्य अनुसंधान अधिकारी के समक्ष रखने के कारण विधिअनुरूप अप्रूवर बनाया गया है। विधि में वर्णित प्रावधानों के तहत प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की गई है। अधिनियम, 1988 की धारा 17(a) के तहत प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अनुसंधान, पूछताछ व जांच किये जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जावे।

24. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत कियेः—

1. CBI Vs Kapil Wadhawan and Another; (2024) 3 SCC 734
2. Irfan Vs State (Govt. of NCT Delhi); 2025 SCC Online SC 6745
3. Dinesh Dalmia Vs. CBI; (2007) 8 SCC 770
4. Baljeet Singh Vs State; 2024 SCC Online Del 2242
5. Judgebir Singh Vs. National Investigating Agency; (2023) 17 SCC 48
6. Sri Asit Kumar Adak Vs. CBI; 2015 SCC Online Cal 5044
7. Ramkrishna Goswami Vs. State of West Bengal; 2013 SCC Cal 22863
8. Faujdar Singh Vs. The State of Uttar Pradesh; 2015 SCC Online All 4183
9. E.S. Sanjeeva Rao Vs. CBI; 2012 SCC Online Bom 1908

10. Nilesh C. Ojha Vs. State of Maharashtra; 2014 SCC Online Bom 1655
11. B. Jayaraj Vs. State of A.P.; (2014) 13 SCC 55
12. Jatin Salwan Vs. CBI; S.B. Criminal Misc. Petition No. 51882/2025
13. Directorate of Enforcement Vs. Manpreet Singh Talwar: SLP (Crl) No. 5724/2023

25. मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली व प्रस्तुत विनिश्चयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

26. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से उक्त जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसे जमानत प्रार्थना पत्रों को निस्तारित किये जाने से पूर्व न्यायालय को किन–किन तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय **P. Chidambaram v. CBI [2020] 13 SCC 337** के पैरा संख्या 21 को यहां उद्धरित किया जाना न्यायोचित होगाः–

"The jurisdiction to grant bail has to be exercised on the basis of the well-settled principles having regard to the facts and circumstances of each case. The following factors are to be taken into consideration while considering an application for bail:

(i) the nature of accusation and the severity of the punishment in the case of conviction and the nature of the materials relied upon by the prosecution;

(ii) reasonable apprehension of tampering with the witnesses or apprehension of threat to the complainant or the witnesses;

(iii) reasonable possibility of securing the presence of the accused at the time of trial or the likelihood of his abscondence;

(iv) character, behaviour and standing of the accused and the circumstances which are peculiar to the accused;

(v) larger interest of the public or the State and similar other considerations."

27. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विनिश्चय **State Through C.B.I v. Amaramani Tripathi; 2005 AIR 3490** के पैरा संख्या 14 में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः—

"14. It is well settled that the matters to be considered in an application for bail are (i) whether there is any prima facie or reasonable ground to believe that the accused had committed the offence; (ii) nature and gravity of the charge;

(iii) severity of the punishment in the event of conviction; (iv) danger of accused absconding or fleeing if released on bail; (v) character, behaviour, means, position and standing of the accused; (vi) likelihood of the offence being repeated; (vii) reasonable apprehension of the witnesses being tampered with; and (viii) danger, of course, of justice being thwarted by grant of bail (see Prahlad Singh Bhati vs. NCT, Delhi 2001 (4) SCC 280 and Gurcharan Singh vs. State (Delhi Administration) AIR 1978 SC 179). While a vague allegation that accused may tamper with the evidence or witnesses may not be a ground to refuse bail, if the accused is of such character that his mere presence at large would intimidate the witnesses or if there is material to show that he will use his liberty to subvert justice or tamper with the evidence, then bail will be refused. We may also refer to the

following principles relating to grant or refusal of bail stated in Kalyan Chandra Sarkar vs. Rajesh Ranjan, 2004 (7) SCC 528:

"The law in regard to grant or refusal of bail is very well settled. The court granting bail should exercise its discretion in a judicious manner and not as a matter of course. Though at the stage of granting bail a detailed examination of evidence and elaborate documentation of the merit of the case need not be undertaken, there is a need to indicate in such orders reasons for prima facie concluding why bail was being granted particularly where the accused is charged of having committed a serious offence. Any order devoid of such reasons would suffer from non-application of mind. It is also necessary for the court granting bail to consider among other circumstances, the following factors also before granting bail; they are:

a. The nature of accusation and the severity of punishment in case of conviction and the nature of supporting evidence.

b. Reasonable apprehension of tampering with the witness or apprehension of threat to the complainant.

c. Prima facie satisfaction of the court in support of the charge. (see Ram Govind Upadhyay vs. Sudarshan Singh, 2002 (3) SCC 598 and Puran vs. Ram Bilas 2001 (6) SCC 338."

28. उक्त विनिश्चयों में यह मत व्यक्त किया गया है कि जमानत प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय साक्ष्य व दस्तावेजों के गुणावगुण पर विस्तृत विवेचन की आवश्यकता नही रहती है। न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह देखना होता है कि न्यायिक रूप से अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी है या नही।

29. प्रार्थीया/अभियुक्ता एस. सीतालक्ष्मी आयकर अपीलीय अधिकरण, जयपुर में न्यायिक सदस्य के पद पर कार्यरत रही है। उसके विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार निवारण शाखा, जयपुर ने जो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की व आरोप पत्र संख्या 3/2026 दिनांक 23.01.2026 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, उसमें यह तथ्य बताया गया है कि विश्वसनीय सुत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार आयकर अपीलीय अधिकरण, जयपुर में प्रैक्टिस करने वाले निजी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिसोदिया, लोकसेवकों और निजी व्यक्तियों के आपराधिक नेटवर्क के आधार पर अधिकरण की जयपुर पीठ में लंबित प्रकरणों के निपटारे के लिए अपीलकर्ताओं से रिश्वत मांग रहे हैं और स्वीकार करने के उद्देश्य से साजिश करके अधिकरण के विभिन्न सदस्यों से अनुकूल आदेश दिलवाने का वादा कर रहे हैं। प्रार्थीया/अभियुक्ता डॉ. एस. सीतालक्ष्मी, जो अधिकरण की न्यायिक सदस्य है, उस पर मुख्यतः यह आरोप लगाया गया है कि उसने गोकुल कृपा ग्रुप के मामलों में कुल 13 अपीलों व 13 क्रॉस आब्जेक्शन में अपीलकर्ताओं को अनुचित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से विजय गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से अपीलकर्ताओं से कुल 50 लाख रूपये की राशि में से 30 लाख रूपये की राशि प्राप्त की और गोकुल कृपा कॉलोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स, जयपुर के मामले निस्तारित करते हुए उनकी 90 करोड़ रूपये की पेनल्टी माफ कर दी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भ्रष्टाचार निवारण शाखा, जयपुर ने प्रार्थीया/अभियुक्ता के कब्जे से एक काले बैग में 30 लाख रूपये (सभी नोट 500/– रूपये) प्रार्थीया/अभियुक्ता के आवास पर उसके सरकारी वाहन से बरामद किये तथा एक नेकलेस व आई–फोन 17 प्रो मैक्स, जो अधिवक्ता राजेन्द्र सिसोदिया ने रिश्वत में

उपहार स्वरूप दिया था, वह भी प्रार्थीया/अभियुक्ता के कब्जे से बरामद हुआ है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भ्रष्टाचार निवारण शाखा, जयपुर ने बाद अन्वेषण प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 3/2026 धारा 61(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सपठित धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अनिधियम, 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) व मूल अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अनिधियम, 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) के अंतर्गत प्रस्तुत किया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भ्रष्टचार निरोधक शाखा ने प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों और अब तक के अनुसंधान के मद्देनजर धारा 193(9) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुसार अनुसंधान के बाकी तथ्यों के संबंध में आगे भी अनुसंधान जारी रखना उचित माना, जिससे प्रकरण में शामिल किसी अन्य लोकसेवक/प्राईवेट व्यक्ति की भूमिका का पता लगाया जा सके और इस मामले को और मजबूत बनाने के लिए डिजीटल सबूतों की जांच की जा सके, साथ ही आगे के अनुसंधान के दौरान सामने आने वाले किसी भी नये आरोप का भी अनुसंधान किया जा सके। उक्त आरोप पत्र में यह अंकित किया है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत सक्षम अधिकारी से माननीय न्यायालय में विचारण हेतु अभियोजन स्वीकृति की मांग की गयी है, जो कि प्रतिक्षित है। इस संबंध में प्रार्थीया/अभियुक्ता की फर्द गिरफ्तारी के आधार पर उसके गिरफ्तारी दिनांक 26.11.2025 को 10.32 ए.एम. पर उसके निवास स्थान से की गयी। इस प्रकरण में प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप पत्र दिनांक 23.01.2026 को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्वीकृत स्थिति है कि विधिक

प्रावधानों के तहत प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध आरोपित अपराध के आधार पर 60 दिवस की अवधि में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

30. **वर्तमान प्रकरण में यह महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न अंतर्वलित है कि क्या निर्धारित अवधि में आरोप पत्र प्रस्तुत होने पर आरोप पत्र के साथ अभियोजन पक्ष द्वारा संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर, वह आरोप पत्र अधूरा आरोप पत्र माना जाएगा और क्या इस आधार पर निर्धारित अवधि में आरोप पत्र प्रस्तुत करना नही मानकर धारा 187(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (167(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता) में वर्णित प्रावधानों के तहत प्रार्थीया/अभियुक्ता Default Bail अर्थात निर्धारित अवधि में आरोप पत्र प्रस्तुत नही करने के आधार पर विधि द्वारा प्रदत्त जमानत प्राप्त कर सकती है?**

31. यद्यपि धारा 187(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (167(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत Default Bail के संबंध में प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय न तो उक्त विधिक प्रश्न को अपने तर्कों में उठाया है, ना ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में इस संबंध में अंकन किया गया है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित विनिश्चय **M. Ravindran Vs. Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence (पूर्वोक्त)** के पैरा संख्या 17.7 को यहां उल्लेखित किया जाना न्यायसंगत हैः–

"17.7. Therefore, as mentioned supra, Section 167(2) is integrally linked to the constitutional commitment under Article 21 promising protection of and personal liberty against unlawful and arbitrary detention, and must be interpreted in a manner

which serves this purpose. In this regard we find it useful to refer to the decision of the three-Judge Bench of this Court in Rakesh Kumar Paul v. State of Assam, which laid down certain seminal principles as to the interpretation of Section 167(2) CrPC though the questions of law involved were somewhat different from the present case. The questions before the three-Judge Bench in Rakesh Kumar Paul were whether, firstly, the 90-day remand extension under Section 167(2)(a)(i) would applicable in respect of offences where the maximum period of imprisonment was 10 years, though the minimum period was less than 10 years. Secondly, whether the application for bail filed by the accused could be construed as an application for default ball, even though the expiry of the statutory period under Section 167(2) had not been specifically pleaded as a ground for bail. The majority opinion held that the 90-day limit is only available in respect of offences where a minimum ten year' imprisonment period is stipulated, and ***that the oral arguments for default bail made by the counsel for the accused before the High Court would suffice in lieu of a written application. This was based on the reasoning that the court should not be too technical in matters of personal liberty.*** *Madan B. Lokur, J. in his majority opinion, pertinently observed as follows: (SCC pp. 95-96 & 99, paras 29, 32 & 41)"*

32. उक्त विनिश्चय में अभिनिर्धारित सिद्धांत के आधार पर प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा बहस में उठाये गये तर्कों पर विचार करते समय धारा 187(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (167(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता) में वर्णित प्रावधानों के संबंध में विस्तृत रूप से विवेचन किया जाना न्यायसंगत व उचित प्रतीत होता है।

33. इस संबंध में सर्वप्रथम धारा 187(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को यहां उद्धरित किया जाना न्यायोचित होगाः—

"(3) The Magistrate may authorise the detention of the accused person, beyond the period of fifteen days, if he is satisfied that adequate grounds exist for doing so, but no Magistrate shall authorise the detention of the accused person in custody under this sub-section for a total period exceeding-

(i) ninety days, where the investigation relates to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term of ten years or more;

(ii) sixty days, where the investigation relates to any other offence,

and, on the expiry of the said period of ninety days, or sixty days, as the case may be, the accused person shall be released on bail if he is prepared to and does furnish bail, and every person released on bail under this sub-section shall be deemed to be so released under the provisions of Chapter XXXV for the purposes of that Chapter"

34. उक्त विधिक प्रावधान के अनुसार यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध आरोपित अपराध में वर्णित सजा के आधार पर प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध 60 दिवस की अवधि के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध जो आरोप पत्र संख्या 3/2026 प्रस्तुत किया गया है, उसमें अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप पत्र के साथ संपूर्ण दस्तावेज, जिन पर अभियोजन पक्ष निर्भर करता है, प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश (सी.बी.आई.), क्रम संख्या—1,

जयपुर महानगर प्रथम द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम एस. सीतालक्ष्मी और अन्य के प्रकरण में पारित आदेशिका दिनांक 30.01.2026 में यह उल्लेखित किया है कि

''इस प्रकरण में आरोप पत्र दिनांक 23.01.2026 को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कार्यालय रिपोर्ट आज के लिए तलब की गई थी। मुताबिक कार्यालय रिपोर्ट अभी दस्तावेज जमा नहीं हुए है जिस संबंध में विद्वान वरिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि दिस्तावेजात काफी संख्या में होने के कारण आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना, उन्हें संबंधित लिपिक द्वारा चैक करना एवं प्राप्त करना इसलिए संभव नहीं था, क्योंकि यह सारी कार्यवाही एक ही दिन में संभव नहीं हो पाती है। अन्वेषण अधिकारी को हिदायत है कि आगामी तारीख पेशी पर सम्पूर्ण कागजात न्यायालय के समक्ष पेश करें। पत्रावली वास्ते इंतजार अभियोजन स्वीकृति एवं पेश होने दस्तावेजात दिनांक 1.02.2026 को पेश हो। तब तक के लिए न्यायिक अभिरक्षाधीन अभियुक्तगण एस. सीतालक्ष्मी, राठौड़ जयन्तभाई कमलेश व विजय कुमार गोयल की न्यायिक अभिरक्षा अवधि बढ़ाई जाती है।''

35. ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र के साथ दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये हैं, जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय ने संपूर्ण कागजात आगामी तारीख पेशी पर प्रस्तुत करने के लिए अन्वेषण अधिकारी को निर्देश दिया है।

36. इस संबंध में प्रार्थीया/अभियुक्ता के विद्वान अभिभाषक व केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत विनिश्चयों का अवलोकन किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय **CBI v. Kapil Wadhawan; [2024] 3 SCC 734** जो Default

Bail अर्थात धारा 187(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (167(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के संबंध में नवीनतम विनिश्चय है, के पैरा संख्या 23 को यहां उद्धरित किया जाना न्यायोचित होगाः—

"23. The benefit of proviso appended to sub-section (2) of Section 167 of the Code would be available to the offender only when a charge-sheet is not filed and the investigation is kept pending against him. Once however, a charge-sheet is filed, the said right ceases. It may be noted that the right of the investigating officer to pray for further investigation in terms of sub-section (8) of Section 173 is not taken away only because a charge-sheet is filed under sub-section (2) thereof against the accused. Though ordinarily all documents relied upon by the prosecution should accompany the charge-sheet, nonetheless for some reasons, if all the documents are not filed along with the charge-sheet, that reason by itself would not invalidate or vitiate the charge-sheet. It is also well settled that the court takes cognizance of the offence and not the offender. Once from the material produced along with the charge-sheet, the court is satisfied about the commission of an offence and takes cognizance of the offence allegedly committed by the accused, it is immaterial whether the further investigation in terms of Section 173(8) is pending or not. The pendency of the further investigation qua the other accused or for production of some documents not available at the time of filing of charge-sheet would neither vitiate the charge-sheet, nor would it entitle the accused to claim right to get default bail on the ground that the charge-sheet was an incomplete charge-sheet or that the charge-sheet was not filed in terms of Section 173(2)CrPC."

37. उक्त विनिश्चय के पैरा संख्या 24 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Dinesh Dalmia v. CBI; [2007] 8 SCC 770** के पैरा संख्या 22 व 39 को उद्धरित किया है, जो निम्नानुसार हैः–

"22. It is true that ordinarily all documents accompany the charge-sheet. But, in this case, some documents could not be filed which were not in the possession of CBI and the same were with GEQD. As indicated hereinbefore, the said documents are said to have been filed on 20-1-2006 whereas the appellant was arrested on 12-2-2006. The appellant does not contend that he has been prejudiced by not filing of such documents with the charge-sheet. No such plea in fact had been taken. Even if all the documents had not been filed, by reason thereof submission of charge-sheet itself does not become vitiated in law. The charge-sheet has been acted upon as an order of cognizance had been passed on the basis thereof. The appellant has not questioned the said order taking cognizance of the offence. Validity of the said charge-sheet is also not in question.

***

39. The statutory scheme does not lead to a conclusion in regard to an investigation leading to filing of final form under sub-section (2) of Section 173 and further investigation contemplated under sub-section (8) thereof. Whereas only when a charge-sheet is not filed and investigation is kept pending, benefit of proviso appended to sub-section (2) of Section 167 of the Code would be available to an offender; once, however, a charge-sheet is filed, the said right ceases. Such a right does not revive only because a further investigation remains pending within the meaning of sub-section (8) of Section 173 of the Code."

38. इसी क्रम में **Irfan v. State (Govt. of NCT Delhi); 2025 SCC Online Del 6745** विनिश्चय में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने पैरा संख्या 8(3) व 8(5) को यहां उद्धरित किया जाना न्यायोचित होगाः–

*"**8.3** The Hon'ble Supreme Court has, in a catena of judgments, held that once a final report under Section 193 of the BNSS (corresponding Section 173(2) of the CrPC) is filed within the prescribed period, the accused cannot claim statutory default bail on the ground that further investigation under Section 193 of the BNSS (corresponding Section 173(8) of the CrPC) is pending or that certain supplementary documents are yet to be filed. In this regard, the Hon'ble Supreme Court in Central Bureau of Investigation v. Kapil Wadhawan2, has held in unequivocal terms that:*

"23. The benefit of proviso appended to sub-section (2) of Section 167 of the Code would be available to the offender only when a charge-sheet is not filed and the investigation is kept pending against him. Once however, a charge-sheet is filed, the said right ceases. It may be noted that the right of the investigating officer to pray for further investigation in terms of sub-section (8) of Section 173 is not taken away only because a charge-sheet is filed under sub-section (2) thereof against the accused. Though ordinarily all documents relied upon by the prosecution should accompany the charge-sheet, nonetheless for some reasons, if all the documents are not filed along with the charge-sheet, that reason by itself would not invalidate or vitiate the charge-sheet. It is also well settled that the court takes cognizance of the offence and not the offender. Once from the material produced along with the charge-sheet, the court is satisfied about the commission of an offence and takes cognizance of the offence allegedly committed by the accused, it

is immaterial whether the further investigation in terms of Section 173(8) is pending or not. The pendency of the further investigation qua the other accused or for production of some documents not available at the time of filing of charge-sheet would neither vitiate the charge-sheet, nor would it entitle the accused to claim right to get default bail on the ground that the charge-sheet was an incomplete charge-sheet or that the chargesheet was not filed in terms of Section 173(2) CrPC."

***

8.5 *Therefore, it is made out that the right to default bail arises only where no final report as contemplated under Section 193 of the BNSS (corresponding Section 173(2) of the CrPC) is filed within the stipulated period. However, once a report, complete in material particulars and disclosing commission of a cognizable offence, is filed before the Magistrate, the right to default bail is not available to the accused. What constitutes a complete charge sheet is not dependent upon the subjective satisfaction of the accused but on whether the Magistrate is in a position to take cognizance of the offences disclosed from the material placed on record. The same is also in line with the observations made by the Hon'ble Supreme Court in Dablu Kujur v. State of Jharkhand4. In the said judgment, the following was observed:*

"14. It may be noted that though there are various reports required to be submitted by the police in charge of the police station before, during and after the investigation as contemplated in Chapter XII CrPC, it is only the report forwarded by the police officer to the Magistrate under sub-section (2) of Section 173 CrPC that can form the basis for the competent court for taking cognizance thereupon. A chargesheet is nothing but a final report of the police officer under Section

173(2) CrPC It is an opinion or intimation of the investigating officer to the court concerned that on the material collected during the course of investigation, an offence appears to have been committed by the particular person or persons, or that no offence appears to have been committed.

***

16. The issues with regard to the compliance of Section 173(2) CrPC, may also arise, when the investigating officer submits police report only qua some of the persons-accused named in the FIR, keeping open the investigation qua the other persons-accused, or when all the documents as required under Section 173(5) are not submitted. In such a situation, the question that is often posed before the court is whether such a police report could be said to have been submitted in compliance with sub-section (2) of Section 173 CrPC.

17. In this regard, it may be noted that in Satya Narain Musadi v. State of Bihar [Satya Narain Musadi v. State of Bihar, (1980) 3 SCC 152 : 1980 SCC (Cri) 660], this Court has observed that statutory requirement of the report under Section 173(2) would be complied with if various details prescribed therein are included in the report. The report is complete if it is accompanied with all the documents and statements of witnesses as required by Section 175(5). In Dinesh Dalmia v. CBI [Dinesh Dalmia v. CBI, (2007) 8 SCC 770 : (2008) 1 SCC (Cri) 36], however, it has been held that even if all the documents are not filed, by reason thereof the submission of the charge-sheet itself would not be vitiated in law.

18. Such issues often arise when the accused would make his claim for default bail under Section 167(2) CrPC and contend that all the documents having not been submitted as required under Section 173(5), or the investigation qua some of the

persons having been kept open while submitting police report under Section 173(2), the requirements under Section 173(2) could not be said to have been complied with."

39. इसी संबंध में **Baljeet Singh v. State; 2024 SCC Online Del 2242** का सुसंगत भाग निम्नानुसार हैः—

13. In a recent judgment in the case of Central Bureau of Investigation v. Kapil Wadhawan, 2024 SCC OnLine SC 66, the Supreme Court observed that there cannot be any disagreement with the well-settled legal proposition that right to default bail under Section 167(2) Cr. P.C. is not only a statutory right but a right that flows from Article 21 of the Constitution of India. It is an indefeasible right, nonetheless it is enforceable only prior to filing of the challan or the Charge Sheet, after which the question of grant of bail has to be considered and decided only with reference to merits of the case, under the provisions relating to grant of bail to an accused, post the filing of the Charge Sheet. The bone of contention between the rival parties before the Supreme Court was whether the Charge Sheet filed by the CBI during ongoing investigation qua other Respondents could be treated as a complete Charge Sheet. Referring to the judgment of the Constitution Bench of the Supreme Court in K. Veeraswami v. Union of India, (1991) 3 SCC 655, the Supreme Court held that the statutory requirement of the report under Section 173(2) Cr. P.C. would be complied with if the various details prescribed therein are included in the report. The report under Section 173 Cr. P.C., is an intimation to the Court that upon investigation into the cognizable offence, Investigating Officer has been able to procure sufficient evidence for the Court to inquire into the offence and necessary information is being sent to the Court. It is not necessary that all details of the offence

must be stated. Though ordinarily all documents relied upon by the prosecution should accompany the Charge Sheet, nonetheless, if for some reasons, all documents are not filed, that reason by itself would not invalidate or vitiate the Charge Sheet, as the Court takes cognizance of the offence and not the offender. Once, from the material produced along with Charge Sheet, Court is satisfied about the commission of an offence and takes cognizance of the offence allegedly committed by the accused, it is immaterial whether further investigation in terms of Section 173(8) Cr. P.C. is pending or not. Pendency of further investigation for production of some documents not available at the time of filing of the Charge Sheet would neither vitiate the Charge Sheet nor entitle the accused to seek default bail on that ground, as a matter of right. Relevant Paragraphs from the judgment are as follows:-

XXXXX

23. The benefit of proviso appended to sub-section (2) of Section 167 of the Code would be available to the offender only when a chargesheet is not filed and the investigation is kept pending against him. Once however, a chargesheet is filed, the said right ceases. It may be noted that the right of the investigating officer to pray for further investigation in terms of subsection (8) of Section 173 is not taken away only because a chargesheet is filed under sub-section (2) thereof against the accused. Though ordinarily all documents relied upon by the prosecution should accompany the chargesheet, nonetheless for some reasons, if all the documents are not filed along with the chargesheet, that reason by itself would not invalidate or vitiate the chargesheet. It is also well settled that the court takes cognizance of the offence and not the offender. Once from the material produced along with the chargesheet, the court is

satisfied about the commission of an offence and takes cognizance of the offence allegedly committed by the accused, it is immaterial whether the further investigation in terms of Section 173(8) is pending or not. The pendency of the further investigation qua the other accused or for production of some documents not available at the time of filing of chargesheet would neither vitiate the chargesheet, nor would it entitle the accused to claim right to get default bail on the ground that the chargesheet was an incomplete chargesheet or that the chargesheet was not filed in terms of Section 173(2) of Cr. P.C."

XXXXX

28. Thus, it has been held by this Court in plethora of decisions that non-filing of FSL report along with the charge sheet does not fall within the ambit of Section 173(2) of CrPC so as to consider it as "incomplete charge sheet" and, accordingly, no right of default bail is accrued in favour of the accused.

XXX XXX XXX

32. Mere non-filing of the FSL Report along with the charge sheet is not sufficient to arrive at the conclusion that the charge sheet filed was incomplete. The said report can be filed by way of a supplementary charge sheet. In any case, The FSL report, if any, would only be a corroborative piece of evidence. And, even after filing of the charge sheet, further investigation can continue under Section 173(8) of the CrPC."

40. इसी प्रकार **Chitra Ramkrishna v. CBI; 2022 SCC Online Del 3124** विनिश्य के पैरा संख्या 113 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:–

"113. *The legal position pertaining to scope of section 167(2) of the Code emanating from above referred decisions can be summarised as under:—*

i) The object of the section 167(2) of the Code is to ensure an expeditious investigation and a fair trial and is another limb of Article 21.

ii) The accused has indefeasible right in his favour for being released on bail on account of default by the investigating agency to complete investigation within the prescribed period.

iii) It is duty of the courts to ensure that benefit of Section 167(2) of the Code be given to the accused and detention beyond statutory period would be illegal being opposed to the liberty of the accused.

iv) Section 173 of the Code does not stipulate a piece-meal investigation and filing of incomplete charge sheet before Court and contemplates filing of a final report after completion of the entire investigation of the case in respect of all offences and where several offences are involved in a case. The practice of filing preliminary charge sheets to seek extension of remand beyond the statutory period should be deprecated.

v) The charge report can be filed before the court only after the investigation is over and formation of an opinion regarding all the offences alleged against the accused.

vi) There is a distinction between completion of investigation and further investigation. The further investigation can be resorted to only after the completion of investigation and filing of charge sheet.

vii) The investigating agency cannot circumvent section 167(2) of the Code by filing incomplete charge sheets. The police report or charge sheet cannot be send within the meaning of Section 173 (2) till the investigation is completed and any report sent before the investigation is completed will not be a police report within the meaning of section 173(2) of the Code.

viii) The incomplete charge sheet filed without completing the investigation cannot be used to defeat the right of statutory bail under Section 167(2) of the Code.

ix) The right of the accused to statutory bail came to an end once the charge sheet is filed within the stipulated period. The filing of charge sheet is sufficient compliance with the provisions of Section 167(2) of the Code and taking of cognizance is not material to Section 167.

x) There can only be one charge sheet but there is no restriction on filing of number of supplementary charge sheets.

xi) The charge-sheet can be said to be complete when it enable the court to take or not to take cognizance of the offence after application of mind and if certain facets called for further investigation does not render such report anything other than a final report.

xii) The power of Magistrate to take cognizance is not lost even if the police report is termed as incomplete by the investigating officer.

xiii) If the charge-sheet is not filed then right for default bail has ripened into status of indefeasibility which cannot be frustrated by the prosecution and the courts on any pretext.

xiii) Economic offences having deep rooted conspiracies and involving huge loss of public funds, constitute a class apart and need to be viewed seriously."

41. उपरोक्त विनिश्चयों में अभिनिर्धारित सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि यदि किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र विधि द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत कर दिया जाता है, लेकिन उसके साथ संपूर्ण दस्तावेज या एक भी दस्तावेज, जिन पर अभियोजन पक्ष निर्भर करता है,

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो यह नहीं माना जाएगा कि विधि में वर्णित प्रावधानों के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत नही हुआ है या बिना दस्तावेज के प्रस्तुत आरोप पत्र विधि की दृष्टि से निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत आरोप पत्र नहीं माना जाएगा और अभियुक्त धारा 187(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (167(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता) में वर्णित प्रावधानों के तहत जमानत प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा। यदि एक बार निर्धारित समय सीमा में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है और अनुसंधान अधिकारी अनुसंधान को धारा 193(9) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के तहत अनुसंधान लंबित भी रखता है, तो भी प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध विधिक समयावधि में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के आधार पर धारा 187(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (167(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के तहत अभियुक्त का Default Bail का अधिकार समाप्त हो जाता है तथा इस आधार पर अभियुक्त की जमानत स्वीकार नही किया जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नही माना जाएगा। धारा 187(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (167(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत अभियुक्त का जमानत प्राप्त करने का अधिकार तभी होता है, जब उसके विरुद्ध निर्धारित अवधि में आरोप पत्र प्रस्तुत नही किया जाता है और अन्वेषण लंबित रहता है। यदि एक बार विधि अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो Default Bail का अभियुक्त का अधिकार समाप्त हो जाता है, फिर चाहे आरोप पत्र के साथ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हों या आरोप पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान लंबित ही क्यों ना रखा गया हो। ऐसी स्थिति में उपरोक्त

विनिश्चयों में अभिनिर्धारित सिद्धांतों के आधार पर इस प्रकरण में प्रार्थीया/अभियुक्ता विधि में वर्णित निर्धारित समय सीमा में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने के आधार पर, चाहे उसके साथ दस्तावेज प्रस्तुत नही भी किये गये हों, तब भी धारा 187(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (167(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के तहत जमानत प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है।

42. वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीया/अभियुक्ता एस. सीतालक्ष्मी की फर्द गिरफ्तारी के आधार पर उसे दिनांक 26.11.2025 को 10.32 ए.एम. पर उसके जयपुर स्थित निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता को सूर्यास्त के पश्चात व सूर्यादय के पूर्व गिरफ्तार नही किया गया है। ऐसी स्थिति में धारा 43(5) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रार्थीया/अभियुक्ता की गिरफ्तारी से पूर्व सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति लिया जाना आवश्यक नही है। दिनांक 25.11.2025 को 9.30 पी.एम. से प्रार्थीया/अभियुक्ता के निवास पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भ्रष्टाचार निवारण शाखा, जयपुर द्वारा तलाशी प्रारम्भ की गयी व दिनांक 26.11.2025 को 11.00 ए.एम. तक चली। उक्त अवधि में प्रार्थीया/अभियुक्ता को अवैधानिक रूप से निरूद्ध रखा गया हो, या उसे कहीं जाने से रोका गया हो, इस प्रकार की कोई साक्ष्य अनुसंधान के दौरान सामने नही आयी है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर यह नही माना जा सकता है कि धारा 43(5) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रार्थीया/अभियुक्ता की गिरफ्तारी अवैध होने के आधार पर प्रार्थीया/अभियुक्ता जमानत प्राप्त करने की अधिकारिणी हो।

43. प्रार्थीया/अभियुक्ता के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता लोकसेवक रही है और उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में उसके द्वारा अपराध कारित किया जाना अभियोजन पक्ष द्वारा बताया गया है। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार निवारण अनिधियम, 1988 की धारा 17(a) में वर्णित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति लिये बिना प्रार्थीया/अभियुक्ता से कोई जांच, पूछताछ या अन्वेषण नही किया जा सकता है। इस संबंध में अधिनियम, 1988 की धारा 17(a) को यहां उद्धरित किया जाना न्यायोचित होगाः–

*"[**17A. Enquiry or Inquiry or investigation of offences relatable to recommendations made or decision taken by public servant in discharge of official functions or duties.**-- (1) No police officer shall conduct any enquiry or inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed by a public servant under this Act, where the alleged offence is relatable to any recommendation made or decision taken by such public servant in discharge of his official functions or duties, without the previous approval--*

(a) in the case of a person who is or was employed, at the time when the offence was alleged to have been committed, in connection with the affairs of the Union, of that Government;

(b) in the case of a person who is or was employed, at the time when the offence was alleged to have been committed, in connection with the affairs of a State, of that Government;

(c) in the case of any other person, of the authority competent to remove him from his office, at the time when the offence was alleged to have been committed:

Provided that no such approval shall be necessary for cases involving arrest of a person on the spot on the charge of

accepting or attempting to accept any undue advantage for himself or for any other person:

Provided further that the concerned authority shall convey its decision under this section within a period of three months, which may, for reasons to be recorded in writing by such authority, be extended by a further period of one month."

44. वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीया/अभियुक्ता एस. सीतालक्ष्मी पर यह आरोप है कि उसने आयकर अपीलीय अधिकरण, जयपुर में न्यायिक सदस्य रहते हुए प्रकरणों का निर्णय किसी पक्षकार के पक्ष में करने हेतु रिश्वत ली और उक्त रिश्वत की राशि 30 लाख रूपये उसके कब्जे से बरामद हुई। वस्तुतः प्रार्थीया/अभियुक्ता का उक्त आरोपित आपराधिक कृत्य उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में माना जाएगा या नही, यह विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न है। इस तथ्य का गुणावगुण पर अवधारण प्रस्तुत साक्ष्य के उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रार्थना पत्र में इस विधिक प्रश्न का गुणावगुण पर विवेचन किये जाने पर प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 193(9) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो अनुसंधान लंबित रखा गया है और विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध जो विचारण लंबित है, उस पर विपरीत रूप से प्रभाव पड़ सकता है। धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जमानत प्रार्थना पत्र में उक्त तथ्यों का अवधारण नही किया जा सकता है।

45. प्रार्थीया/अभियुक्ता एस. सीतालक्ष्मी की ओर से इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा रानिदान सिंह बनाम राजस्थान राज्य एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या 1219/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2024 का अवलम्ब लिया गया है। उक्त मत प्रथम सूचना रिपोर्ट

को निरस्त किये जाने वाली याचिका में दिया गया है। धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रार्थना पत्र में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा कोई मत नही दिया गया है। इसी प्रकार से हिमांशु यादव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 17545/2021 में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा आदेश दिनांक 19.01.2022 में अधिनियम, 1988 की धारा 7 में दी गयी अभियोजन स्वीकृति को चुनौती दी गयी थी। उक्त चुनौती के संबंध में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा आदेश पारित किया गया है। वर्तमान प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जमानत सुविधा दिये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त दोनों विनिश्चयों में अभिनिर्धारित मत से प्रार्थीया/अभियुक्ता को कोई सहायता प्राप्त नही हो पाती है। ऐसे में प्रार्थीया/अभियुक्ता अभियोजन स्वीकृति नही लिये जाने के आधार पर जमानत सुविधा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है।

46. प्रार्थीया/अभियुक्ता के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता को जजेज प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है और आयकर अपीलीय अधिकरण की न्यायिक सदस्य होने के कारण प्रार्थीया/अभियुक्ता को उक्त संरक्षण प्राप्त होने से उसे गिरफ्तार नही किया जा सकता तथा उसके विरुद्ध की गयी कार्यवाही अवैधानिक है। जैसा कि उपरोक्त विवेचन में यह मत व्यक्त किया जा चुका है कि धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रार्थना पत्रों में न्यायालय को केवल मात्र यह देखना होता है कि जमानत स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर जमानत प्रदान की जा सकती है या नही। इस स्तर पर

किसी विधिक प्रश्न को गुणावगुण पर अवधारित नही किया जा सकता है, क्योंकि इससे लंबित अनुसंधान व विचारण न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध विचारण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। प्रार्थीया/अभियुक्ता ने इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट या अपनी गिरफ्तारी अवैध होने के कारण व अधिकरण की न्यायिक सदस्य होने के कारण उसके विरुद्ध की गयी कार्यवाही को अवैधानिक घोषित करने या निरस्त करने की प्रार्थना नही की है। इस संबंध में प्रार्थीया/अभियुक्ता ने **E.S. Sanjeeva Rao v. CBI [2012] SCC Online Bom 1908** विनिश्चय का अवलम्ब लिया है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने के लिए प्रार्थना की गयी थी और उस पर माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपना मत व्यक्त किया था। उक्त मत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रार्थना पत्र के अंतर्गत नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त विनिश्चय में दिये गये मत से भी प्रार्थीया/अभियुक्ता को कोई सहायता प्राप्त नही हो पाती है।

47. प्रार्थीया/अभियुक्ता के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर पंजीबद्ध की गयी है और अभियुक्तों के फोन कॉल के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन का आधार लिया गया है। टेलीकम्यूनिकेशन अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत इस प्रकरण में कोई लोक आपातकाल या लोक सुरक्षा का प्रश्न अंतर्वलित नही होने के कारण जो अनुसंधान किया गया और सूचना प्राप्त की गयी, वह अवैध है और उक्त वाट्सएप मैसेज व टेलीफोन कॉल की रिकॉर्डिंग करने के संबंध में जारी आज्ञा भी विधि अनुरूप नही है। जैसा कि पूर्व में विवेचित

भी किया जा चुका है कि धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रार्थना पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धांतों व विधिक प्रावधानों के तहत उक्त प्रार्थना पत्रों को निस्तारित करना होता है। वस्तुतः वाट्सएप मैसेज व टेलीफोन कॉल की रिकॉर्डिंग से संबंधित कार्यवाही विधि अनुरूप सम्पादित की गयी है या नही तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि अनुरूप उक्त कार्य की अनुमति दी गयी है या नही, ये समस्त तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु हैं, जिनका अवधारण विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के माध्यम से किया जा सकता है। इस स्तर पर इस संबंध में किसी प्रकार का मत प्रकट करना प्रार्थीया/अभियुक्ता के विचारण को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन के आधार पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा **Dr. L. Praveen Kumar v. CBI;** जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2202/2022 व अन्य समेकित प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 इस प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण प्रार्थीया/अभियुक्ता को कोई सहायता प्रदान नही करता है।

48. जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य, अभियोजन की प्रकृति, अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित कृत्य, अभियुक्त द्वारा परिवादी व गवाहों को डराने या धमकाने का युक्तियुक्त संदेह, विचारण के दौरान अभियुक्त की युक्तियुक्त उपस्थिति की संभावना, अभियुक्त के आचरण, राज्य व जनता का हित, क्या अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया यह युक्तियुक्त आधार है कि अभियुक्त ने आरोपित गंभीर प्रकृति का अपराध

किया है या उसके भागने की संभावना तो नही है तथा प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखना होता है।

49. भारतीय संविधान में न्याय, समानता और बंधुता के मूल्यों को प्रस्तावना में रखा गया है और यह हमारे संविधान व प्रजातंत्र का मुख्य आधार स्तम्भ है तथा भ्रष्टाचार इन आधार स्तम्भों को खत्म कर रहा है। इस संबंध में **Niranjan Hemchandra Sashittal v. State of Maharashtra; [2013] 4 SCC 642** के साथ **Manoj Narula v. Union of India; [2014] 9 SCC 1** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मत को यहां उल्लेखित किया जाना न्यायोचित होगाः—

"Criminality and corruption go hand in hand. From the date the Constitution was adopted i.e. 26-1-1950, a Red Letter Day in the history of India, the nation stood as a silent witness to corruption at high places. Corruption erodes the fundamental tenets of the rule of law. In Niranjan Hemchandra Sashittal v. State of Maharashtra [(2013) 4 SCC 642 : (2013) 2 SCC (Cri) 737 : (2013) 2 SCC (L&S) 187] the Court has observed: (SCC pp. 654-55, para 26)

"26. It can be stated without any fear of contradiction that corruption is not to be judged by degree, for corruption mothers disorder, destroys societal will to progress, accelerates undeserved ambitions, kills the conscience, jettisons the glory of the institutions, paralyses the economic health of a country, corrodes the sense of civility and mars the marrows of governance. It is worth noting that immoral acquisition of wealth destroys the energy of the people believing in honesty, and history records with agony how they have suffered. The only redeeming fact is that collective sensibility respects such suffering as it is in consonance with the constitutional morality."

50. इसी प्रकार **Jatin Salwan vs CBI; 2026:PHHC:014657** के पैरा संख्या 8 को भी यहां उल्लेखित किया जाना न्यायोचित होगाः—

> ***8.*** *Indubitably, the allegations raised in the FIR in question are serious in nature which are not confined only to monetary gain alone. According to the prosecution, the petitioner, who is a practising Advocate demanded large amount of money by claiming that he could influence a judicial officer and secure a favourable order in a divorce case. Such allegations, if found true, do not affect only the complainant but have a wider impact on public trust in the justice delivery system. The material which has been placed on record before this Court shows that the complaint was first verified by the CBI before the FIR in question was registered. The recorded conversations, the verification report, and the trap proceedings prima facie indicate a demand for illegal gratification and the collection of part of the bribe amount through a co-accused. At this stage, this material cannot be legally ignored or brushed aside. The argument that the petitioner is not a public servant does not help him at this stage as Section 7-A of the Prevention of Corruption Act squarely covers any person who accepts or obtains undue advantage to influence a public servant by corrupt or illegal means. The age and professional standing of the petitioner, though relevant, cannot outweigh the gravity of the allegations. Upon directions issued by this Court, the medical condition of the petitioner was got assessed by the CBI and nothing has come forth which may entitle the petitioner to be afforded regular bail on medical ground(s). Furthermore, whether the judicial officer named in the complaint was actually competent to pass the order is matter of defence and will be examined during the course of trial. The Hon'ble Supreme Court has consistently held that offences involving corruption, particularly those undermining*

institutional integrity, require a cautious and stringent approach while considering the grant of bail. In cases involving corruption and misuse of influence in the judicial process, such factors by themselves are not sufficient to grant bail especially when the allegations are supported by prima facie material. The petitioner is an Advocate with long professional experience. At this stage, it cannot be said that there does not exist a reasonable apprehension/concern that his release may affect the course of investigation or trial including the possibility of influencing the witness(s). The rejection of bail by the learned Special Judge, CBI, Chandigarh, after consideration of the material on record, further persuades this Court not to take a contrary view in the absence of any substantial change in circumstances.

8.1. *Much emphasis has been laid by the learned Senior Advocate on the fact of investigation having been culminated in the filing of Challan/Final Report and the petitioner having suffered incarceration for more than 5 months for an offence punishable (maximum) up to 7 years of imprisonment. Indubitably, in a case under the Prevention of Corruption Act, the conclusion of the investigation and the subsequent presentation of Challan/Final Report, as well as, the petitioner having undergone a custody of around 5½ months for an offence punishable with up to 7 years of Imprisonment (maximum), constitute factors relevant for consideration of bail, however, they cannot be viewed in vacuum and nor do they operate as an absolute passport for enlargement on bail.*

Indubitably, in a case under the Prevention of Corruption Act, the conclusion of the investigation and the subsequent presentation of Challan/Final Report, as well as, the petitioner having undergone a custody of around 5½ months for an offence punishable with up to 7 years of Imprisonment (maximum),

constitute factors relevant for consideration of bail, however, they cannot be viewed in vacuum and nor do they operate as an absolute passport for enlargement on bail. These mitigating factors do not preclude this Court from scrutinizing the gravitas of the allegations and their broader socio-legal implications. When an advocate, who is considered as an officer of the Court, solicits or accepts illegal gratification under the pretext of influencing a judicial outcome, the act is not merely a private fraud but sacrilegious affront to the judiciary as an institution. It is the duty of this Court to treat such transgressions as an existential threat to the sanctity of the institution. The totality of the allegations; the manner in which the offence is alleged to have been perpetrated; and the position of the accused especially vis-a-vis the complainant; etc., are to be borne in mind while adjudicating the instant plea for enlargement of bail, by this Court.

51. जमानत स्वीकार करना या अस्वीकार करना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है और ऐसा विवेक जमानत स्वीकार करने या अस्वीकार करने के निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर न्यायिक होना चाहिए। जमानत प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय न्यायालय को इन तथ्यों को देखना होता है कि प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध किये जाने के तथ्य हैं या नही और आरोपित अपराध की गंभीरता और प्रकृति किस प्रकार की है, साथ ही अन्य तथ्यों के अतिरिक्त प्रकरण के समस्त तथ्यों पर न्यायालय को विचार करना होता है।

52. वर्तमान प्रकरण में अभियोजन कहानी के अनुसार प्रार्थीया/अभियुक्ता आयकर अपीलीय अधिकरण में न्यायिक सदस्य थी। उस पर यह आरोप है कि उसने मैसर्स गोकुल कृपा कॉलोनाईजर्स एवं डवलपर्स प्राईवेट

लिमिटेड के पक्ष में निर्णय पारित कर उनकी 90 करोड़ रूपये की पेनल्टी माफ की और रिश्वत के 50 लाख रूपये में से 30 लाख रूपये प्रार्थीया/अभियुक्ता के निवास स्थान पर उसके सरकारी वाहन में पाये गये। इसके अतिरिक्त अनुसंधान के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि एक नेकलेस व आई—फोन 17 प्रो मेक्स 512 जीबी उपहार के रूप में रिश्वत के तौर पर लिया गया और उक्त सामग्री भी तलाशी के दौरान प्रार्थीया/अभियुक्ता के कब्जे से बरामद हुई है। उक्त 30 लाख रूपये प्रार्थीया/अभियुक्ता के कब्जे से उसके निवास पर राजकीय वाहन में मिले, इस तथ्य को राजकीय वाहन के चालक मुकेश कुमार डाबोरिया ने अपने धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयानों में बताया है। इस साक्षी ने उक्त बयानों में यह भी कथन किया है कि वह विजय गोयल के मकान में प्रार्थीया/अभियुक्ता के साथ गया, तब उनके पास काले रंग का बैग नही था, जब वापस आयी तब काले रंग का बैग था।

53. वर्तमान प्रकरण में दिनांक 03.01.2026 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भ्रष्टाचार निवारण शाखा, जयपुर में पहचान कार्यवाही ज्ञापन तैयार किया गया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में प्रार्थीया/अभियुक्ता को चार्टर्ड अकाउंटेंट विजय गोयल की पत्नी के साथ 21.13.40 से 21.13.54 के बीच शॉल्डर बैग के साथ—साथ लाल धारियों वाला काले रंग का बैग लेकर घर से निकलते हुए दिखाया गया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के साथ चार्टेड अकांउटेंट विजय गोयल की पत्नी को देखा गया है, विजय गोयल के साथ प्रार्थीया/अभियुक्ता को देखा गया है या नहीं, प्रार्थीया/अभियुक्ता ने विजय गोयल से रिश्वत की कोई राशि ली या नहीं ली, विजय गोयल के घर से अपने निवास स्थान तक पहुंचने के

बीच किसी अन्य से कोई राशि ली या नहीं ली, इन समस्त तथ्यों पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस स्तर पर प्रथमदृष्ट्या स्पष्ट है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता के कब्जे से उसके निवास पर राजकीय वाहन से 30 लाख रूपये बरामद हुए हैं। उक्त 30 लाख रूपये अभियोजन पक्ष के अनुसार गोकुल कृपा ग्रुप के प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए और उनकी 90 करोड़ की पैनल्टी माफ करने की एवज में लिये गये हैं। प्रार्थीया/अभियुक्ता से जब्तशुदा 30 लाख रूपये उसके स्वयं के हों या जब्तशुदा नेकलेस व आई–फोन 17 प्रो मैक्स उसका क्रयशुदा हो, इस प्रकार की कोई साक्ष्य प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से इस स्तर पर प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थीया/अभियुक्ता ने आयकर अपीलीय अधिकरण की न्यायिक सदस्य रहते हुए किसी पक्षकार के पक्ष में निर्णय पारित करने की एवज में रिश्वत की राशि ली और उसके कब्जे से उक्त राशि बरामद हुई है, यह एक गंभीर प्रकृति का अपराध माना जा सकता है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के राजकीय वाहन के चालक मुकेश कुमार डाबोरिया ने प्रार्थीया/अभियुक्ता के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान में साक्ष्य दी है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो राजकीय वाहन के चालक मुकेश कुमार डाबोरिया को प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा डराने धमकाने का अंदेशा रहेगा तथा प्रार्थीया/अभियुक्ता अन्वेषण और विचारण के दौरान साक्ष्य को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकती है। यद्यपि प्रार्थीया/अभियुक्ता का 51 वर्षीय महिला होना बताया गया है लेकिन धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित प्रावधानों के तहत यह आज्ञापक प्रावधान नहीं रखा गया है कि प्रत्येक अजमानती अपराध में महिला होने

पर या कोई रोगी होने पर उसे आवश्यक रूप से जमानत पर रिहा किया जावे। प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से ऐसी कोई चिकित्सकीय साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि कारागृह में रहते हुए विधिनुसार उसका उपचार नहीं हो सकता हो। प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत विनिश्चय **Kalvakuntla Kavitha v. ED 2024 SCC Online SC 2269** में यह अभिनिर्धारित नहीं किया गया है कि प्रत्येक प्रकरण में अभियुक्त के महिला होने या रोगी होने के आधार पर अजमानती अपराध में उसको जमानत पर रिहा किये जाने के आज्ञापक प्रावधान हो। ऐसी स्थिति में उक्त विनिश्चय से प्रार्थीया/अभियुक्ता को कोई सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है।

54. प्रार्थीया/अभियुक्ता एस. सीतालक्ष्मी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि एक प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से तीन आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये हैं और उनके साथ कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पर तीन अलग–अलग आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना विधि–विरूद्ध है। इस आधार पर प्रार्थीया/अभियुक्ता जमानत प्राप्त करने की अधिकारिणी है। इस संबंध में **Asit Kumar Adak v. CBI 2015 SCC Online Cal 5044** विनिश्चय के पैरा संख्या 3 को यहां उद्धरित किया जाना न्यायोचित होगा।

"3. Succinctly, the case of the petitioner is that in the Court below the petitioner alongwith six others have been made accused of the charges under Sections 120B, 420, 467, 468, 471, 409 of the Penal Code, 1860 read with Sections 13(2) and 13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act, 1988 for their involvement in criminal conspiracy, by abusing their position as

public servant, for cheating the Allahabad Bank. Said complaint was lodged by one Subrata Chakraborty Inspector of Police - CBI/ASB/Calcutta on 19th January, 1998 to the effect that the accused persons made reckless advances to some private firms to the tune of Rs. 3,36,11,000 approximately in the form of clean overdraft beyond sanction limit unauthorisedly and irregularly in relation to the bank norms and procedure and thereby committed the offence of cheating against Allahabad Bank. Present petitioner was the then Chief Manager of Allahabad Bank Red Cross Place, Calcutta and he allowed undue favour to M/s Calcutta Veneer Industries Pvt. Ltd. by allowing clean overdraft on different dates from December 1992 to April 1993. He had also wilfully overlooked unlawful sanction of financial benefit allowing excess bank guarantee limit to M/s Jain Associates. With similar series of allegations the petitioner was made accused in that case for allowing cash-drawing in favour of M/s. Calcutta Extrusion Pvt. Ltd. unauthorisedly and irregularly. Central Bureau of Investigation as the Investigating Agency submitted three separate charge-sheets in that case after completion of investigation against the accused persons. Cognizance was taken of the offences on all the three charge-sheets on 20.12.2001 by learned Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta and the cases were transferred to the file of learned Special Judge, 3rd Court at Calcutta and upon receipt of records of the case, learned Special Judge, 3rd Court, Calcutta issued process in the name of the petitioner on 05.02.2002. The petitioner made a prayer before the learned Special Judge for his discharge on the ground of deliberate delay caused by the prosecution stating inter alia that an amicable settlement has been attained by the Allahabad Bank with the petitioner. The petitioner challenged the maintainability of the case on the ground that three charge-sheets were illegally submitted against

one First Information Report. Petitioner has cited a decision dated 24.9.2012 of the Hon'ble Apex Court in Gian Singh v. The State of Punjab stating in paragraph 7 of this application the observations made by the Hon'ble Apex Court. Learned Special Judge, 3rd Court has rejected the prayer of the petitioner for discharge and, therefore, the instant case has been filed by the petitioner. I have gone through the application of the petitioner and certified copy of the impugned order dated 28.02.2014 passed by learned Judge, 3rd Special Court, Calcutta in Special Case No. 5 of 2001. In the impugned order rejecting the prayer of the petitioner learned Judge, Special Court has observed that mere repayment of loan under settlement cannot exempt accused from criminal proceedings when the criminal conspiracy was alleged and prima facie offence against the accused has been made out by filing specific charge-sheet after prolonged investigation by the C.B.I. On going through the impugned order I do not find anything against legality, propriety and correctness of the impugned order. In my view, said order does not cause miscarriage of justice. In paragraph 7 of the application the petitioner has referred to some observations of the Hon'ble Apex Court in Gian Singh's case. On going through the same it appears from observation of the Hon'ble Apex Court that any compromise between the victim and offender in relation to the offences under special statutes like Prevention of Corruption Act of the offences committed by public servant while working in that position etc. - cannot provide for any basis for quashing the criminal proceedings involving such offences. This observation clearly goes against the petitioner in the instant case. This Court is satisfied to follow the Latin maxim, 'factum infectum fieri nequit' (thing done cannot be undone). The alleged offence is grave in nature against the society relating to finance involving public at large. Excepting the charge under Section 420 of the

Penal Code, 1860 all other charges brought against petitioner are non-compoundable. Provision under Section 482 of the Code of Criminal Procedure provides for exercising such power to prevent abuse of process of any Court or otherwise to secure the ends of justice. Said section provides for giving effect to any order under the Code of Criminal Procedure and not for violating the provisions of the Code including Section 320 of that Code which stands on the way of compounding the offences punishable under Sections 467/468/471/409/120B of the Prevention of Corruption Act, 1988. ***Filing of multiple charge-sheets on single FIR is not barred when circumstances prevail, like the instant case, so demand.*** *Learned Judge in the trial Court has very rightly followed the decision is of this High Court in the case of Ramkrishna Goswami v. The State of West Bengal reported in (2014) 1 C.Cr.LR. (Cal) 357 which has also been cited by learned Advocate for the opposite party at the time of hearing this case. It is true that there is inordinate delay in disposal of the case in the trial Court but that alone cannot be a ground for quashing the proceedings of the trial Court. It appears from the impugned order that in the trial Court the case is in the stage of trial as the case was fixed on 5.5.2014 for recording prosecution evidence. A direction may be given to the trial Court for concluding the trial within six months from the date of communication of copy of this judgment."*

55. इसी प्रकार **Ramkrishna Goswami v. State of West Bengal; 2013 SCC Online Cal 22863** का पैरा संख्या 20 में यह मत व्यक्त किया है कि:—

"20. With regard to the issue of filing of thirteen charge-sheets in conclusion of investigation of a single First Information Report, I am of the view that ordinarily a First Information Report would

result for filing of a singular charge-sheet. However, if it appears to the investigating agency that the distinct offences were committed in course of several transactions by the same accused then it is within the domain of the investigating agency to file separate charge-sheets for each of such distinct offence/offences. Such an action of the investigating agency is, in fact, in aid of fair trial so that no prejudice is caused to the accused persons by framing jumbled up charge in a single trial in respect of different offences committed in the course of separate transactions."

56. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चय **Faujdar Singh v. The State of Uttar Pradesh; 2015 SCC Online All 4183** का पैरा संख्या 32 भी यहां उद्धरित किया जाना न्यायोचित होगाः–

"32. FIR is foundation of investigation. Without registration of FIR, investigation cannot proceed. But when an FIR is registered and investigation discloses the commission of several separate, independent and distinct offences arising out of separate transactions and not connected with each other though similar in nature, for which separate trial is needed in accordance with provisions of Cr.P.C., submission of separate charge-sheets for separate, independent and distinct offences on the basis of same FIR cannot be said to be against law. In such situation even if one charge-sheet is submitted by investigating agency, the Magistrate or trial court may order separate trial for separate, independent and distinct offences arising out of separate transactions and not connected with each other, in accordance with provisions of Cr.P.C."

57. उक्त विनिश्चयों में अभिनिर्धारित सिद्धांत के आधार पर इस प्रकरण में भी यदि एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट पर तीन आरोप पत्र प्रस्तुत किये

गये हैं तो इस आधार पर प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत की अधिकारिणी नहीं माना जा सकता है।

58. प्रार्थीया/अभियुक्ता एस. सीतालक्ष्मी द्वारा रिश्वत की मांग की गई या नहीं की गई, उसने रिश्वत की राशि को स्वीकार किया या नहीं किया, ये समस्त तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु हैं। प्रार्थीया/अभियुक्ता से 30 लाख रूपये जब्त होने मात्र से अधिनियम, 1988 की धारा 7 में वर्णित प्रावधान साबित नहीं होते हैं, इस तथ्य का अवधारण भी इस स्तर पर नहीं किया जा सकता। इस तथ्य का अवधारण विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है। प्रार्थीया/अभियुक्ता पर आयकर अपीलीय अधिकरण में न्यायिक सदस्य रहते हुए किसी पक्षकार के पक्ष में निर्णय पारित करने की एवज में रिश्वत की राशि लेने का आरोप है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के कब्जे से 30 लाख रूपये नकद, एक नेकलेस व आई–फोन 17 प्रो–मैक्स (512 जीबी) बरामद हुआ है, ऐसी स्थिति में समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायसंगत व उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीया/अभियुक्ता पर अधिकतम सात वर्ष तक की सजा के अपराध का आरोप होना बताया गया है, प्रार्थीया/अभियुक्ता को अभिरक्षा में लगभग तीन माह हो गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया/अभियुक्ता एस. सीतालक्ष्मी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

59. वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त मुजम्मिल पर यह आरोप है कि उसकी एक अपील में एडवोकेट राजेन्द्र सिसोदिया ने 5.5 लाख रूपये

की रिश्वत की मांग की और आयकर अपीलीय अधिकरण, जयपुर में पदस्थापित गगन गोयल, लेखाकर सदस्य व कैलाश चंद्र मीणा, सहायक रजिस्ट्रार से अनुकूल आदेश दिलवाने का आश्वासन दिया। प्रार्थी/अभियुक्त मुजम्मिल से सहअभियुक्त राजेन्द्र सिसोदिया ने 512 जीबी स्टोरेज वाले आई–फोन 17 प्रो मैक्स की व्यवस्था करने के लिए कहा, जिसे उसके पक्ष में निर्णय करने के लिए अधिकरण की न्यायिक सदस्य एस. सीतालक्ष्मी को दिया जा सके। अन्वेषण के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि हवाला चैनल के माध्यम से सहअभियुक्त राजेन्द्र सिसोदिया ने उक्त रिश्वत की राशि प्राप्त कर ली और वह उक्त राशि को लेकर अपने मित्र के आवास की ओर जा रहा था, तब उसके बैक से 6,38,900/– रूपये नगद बरामद हुए, जिसमें उक्त रिश्वत की राशि 5.5 लाख रूपये भी शामिल थी। प्रार्थी/अभियुक्त मुजम्मिल द्वारा दिये गये आई–फोन को अधिकरण की न्यायिक सदस्य के कब्जे से बरामद किया गया है। अन्वेषण के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि अधिकरण में प्रार्थी/अभियुक्त मुजम्मिल का प्रतिनिधित्व सहअभियुक्त राजेन्द्र सिसोदिया द्वारा किया जा रहा था। सहअभियुक्त राजेन्द्र सिसोदिया ने मुजम्मिल को फोन करके अधिकरण के सदस्य के नाम पर रिश्वत मांगी, यह तथ्य फोन कॉल डिटेल्स में आना अनुसंधान अधिकारी ने बताया है। उक्त 5.5 लाख रूपये की राशि दिनांक 19.11.2025 को इरशाद अहमद के अकाउंट से कोटा के कृष्ण मुरारी के अकाउंट में क्रेडिट होना बताया गया है और कृष्ण मुरारी द्वारा उक्त राशि मुजम्मिल को दिया जाना बताया गया है। अन्वेषण के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि अनुराग गौतम के भाई गौरव गौतम ने कोटा से हवाला चैनल के जरिये उक्त रूपये ट्रांसफर किये थे। 5.5 लाख रूपये में से

1,100/– रूपये के कमीशन की राशि कम करके प्रार्थी/अभियुक्त मुजम्मिल द्वारा यू.पी.आई. के जरिये सहअभियुक्त राजेन्द्र सिसोदिया के अकाउंट में ट्रांसफर किये जाने का तथ्य सामने आया है और उक्त रूपये राजेन्द्र सिसोदिया से बरामद किये गये हैं। राजेन्द्र सिसोदिया और मुजम्मिल के वाट्सएप चैट, फोन कॉल डिटेल्स भी प्रस्तुत हुए हैं, जिनके अवलोकन से अन्वेषण अधिकारी ने यह पाया है कि सहअभियुक्त राजेन्द्र सिसोदिया ने प्रार्थी/अभियुक्त मुजम्मिल की लंबित अपील का फैसला उसके पक्ष में करने के लिए 5.5 लाख रूपये व एक आई–फोन मांगा और प्रार्थी/अभियुक्त मुजम्मिल द्वारा कोटा से हवाला के जरिये राजेन्द्र सिसोदिया को जयपुर में डिलीवर किये गये। प्रार्थी/अभियुक्त मुजम्मिल के विरुद्ध धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता सपठित धारा 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) एवं मूल अपराध 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होना भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो द्वारा पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त मुजम्मिल व राजेन्द्र सिसोदिया के मध्य वाट्सएप चैट्स, टेलीफोन वार्ता, हवाला के माध्यम से 5.5 लाख रूपये व एक आई–फोन रिश्वत के रूप में देने के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त मुजम्मिल को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

60. जहां तक प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र सिसोदिया का प्रश्न है, प्रार्थी/अभियुक्त अधिवक्ता है तथा उस पर यह आरोप है कि उसने एक अपील के अपीलकर्ता श्री मुजम्मिल से 5.5 लाख रूपये की रिश्वत मांगी और यह कहा कि वह अधिकरण के लेखाकार सदस्य श्री गगन गोयल व सहायक रजिस्ट्रार के.सी. मीणा से अनुकूल आदेश

दिलवाएगा तथा प्रार्थी/अभियुक्त ने मुजम्मिल से 512 जीबी स्टोरेज वाले आई–फोन 17 की व्यवस्था करने को भी कहा, जिससे अधिकरण की न्यायिक सदस्य एस. सीतालक्ष्मी को मोबाईल दिया जा सके। प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र सिसोदिया पर यह आरोप है कि उसने हवाला के माध्यम से उक्त रिश्वत की राशि 5.5 लाख रूपये प्राप्त की और उस राशि को लेकर जयपुर में अपने मित्र के आवास पर जा रहा था, तब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही के दौरान अभियुक्त को उक्त नकदी से भरे भूरे रंग के ऑफिस बैग के साथ पकड़ा। उक्त भूरे बैग में तलाशी लेने पर 6,38,900/– रूपये नकद बरामद हुए। प्रार्थी/अभियुक्त पर यह भी आरोप है कि उसने अधिकरण के न्यायिक सदस्य को एक नेकलेस उपहार में दिया, जो सीतालक्ष्मी के निवास से उसके कब्जे से बरामद हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त व मुजम्मिल की मोबाईल वार्ता की डिटेल अन्वेषण के दौरान प्राप्त की गयी। अन्वेषण के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि दिनांक 19.11.2025 को इरशाद अहमद के अकाउंट से आर.टी.जी.एस. के जरिये 5,50,000/– रूपये ट्रांसफर किये गये और यह रकम कोटा के कृष्ण मुरारी के अकाउंट में क्रेडिट हुई। अन्वेषण के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि छोटूलाल सैनी नाम के व्यक्ति ने 5,48,900/– रूपये की नकद रकम राजेन्द्र सिसोदिया को दी और 1,100/– रूपये की बची हुई रकम कमीशन के तौर पर ले गया। उक्त राशि हवाला के माध्यम से मुजम्मिल ने भिजवायी थी। प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्वेषण के दौरान यह तथ्य भी सामने आये हैं कि उसने मुजम्मिल से फोन कॉल्स से रिश्वत के रूपये देने की बात कही थी।

61. प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र सिसोदिया पर सहअभियुक्त मुजम्मिल से उसके पक्ष में निर्णय करवाने हेतु हवाला के माध्यम से 5.5 लाख रूपये प्राप्त करने का आरोप है। यद्यपि आरोप पत्र में यह उल्लेखित नहीं किया गया है कि मुजम्मिल के पक्ष में अधिकरण द्वारा कोई निर्णय पारित कर दिया गया हो। आरोप पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र सिसोदिया, एड्वोकेट के कब्जे से दिनांक 25.11.2025 को, जब वह अपने मित्र के आवास पर जा रहा था, तब उक्त परिसर के पास से एक भूरे रंग के ऑफिस बैग में तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 6,38,900/– रूपये मिले। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के कार्यालय के प्रथम तल पर तलाशी के दौरान उसके कार्यालय से 79,98,000/– रूपये प्राप्त हुए। तलाशी के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र सिसोदिया और श्रीमती दीपरत्ना के बैडरूम से 39,000/– रूपये जब्त किये गये। प्रार्थी/अभियुक्त से 6,38,900/– रूपये भूरे रंग के ऑफिस बैग से बरामद हुए हैं तथा घर से 79,98,000/– की राशि व 39,000/– रूपये की राशि बरामद हुई है। उक्त समस्त राशि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विधिक व्यवसाय करते हुए अपनी विधिक फीस के रूप में ली गयी हो, यह तथ्य इस स्तर पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट नही हुआ है।

62. जहां तक प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र सिसोदिया के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच का प्रश्न है, तो गोपनीय स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर, जहां रिश्वत की राशि जब्त की जानी हो या किसी अभियुक्त को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने का प्रकरण हो तथा ऐसे मामलों में यदि प्रारम्भिक जांच नही की गयी हो, तब अभियुक्त आज्ञापक रूप से जमानत प्राप्त करने का अधिकारी होगा, ऐसा कोई विनिश्चय प्रार्थी/अभियुक्त की ओर

से प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र सिसोदिया को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

63. वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त कैलाश चंद्र मीणा पर यह आरोप है कि उसने आयकर अपीलीय अधिकरण, जयपुर में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थापित रहते हुए अपीलकर्ता प्रवीण कुमार लाम्बा के प्रकरण में उसके पक्ष में आदेश पारित करने के लिए रिश्वत की मांग कर प्राप्त की और श्रीमती सुहानी मेहरवाल के माध्यम से 1,25,000/– रूपये की रिश्वत प्राप्त की। प्रार्थी/अभियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिलकर आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों को अपने प्रभाव में लेकर पक्षकारों के पक्ष में निर्णय पारित करवाता था। अन्वेषण के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त कैलाश चंद्र मीणा ने मनीष कुमार शर्मा से प्रवीण कुमार लाम्बा के ITA मामले में अधिकरण के सदस्यों से उसके पक्ष में आदेश दिलवाने के बदले 1,00,000/– रूपये की रिश्वत की मांग की, जो मनीष कुमार शर्मा ने प्रवीण कुमार लाम्बा के चार्टर्ड अकाउंटेंट/ऑडिटर वरूण मोहन गुप्ता को बतायी। प्रार्थी/अभियुक्त ने मनीष कुमार शर्मा से रिश्वत की राशि की मांग बढ़ाकर 1,25,000/– रूपये कर दी, यह तथ्य भी अन्वेषण के दौरान सामने आया है।

64. अन्वेषण के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि उपरोक्त 1,25,000/– रूपये की रिश्वत की राशि सुहानी मेहरवाल को प्रवीण लाम्बा के सीए/ऑडिटर वरूण मोहन गुप्ता ने पवन राठौड़ के जरिये कैलाश चंद्र मीणा द्वारा मांगी जाने व बताये अनुसार पहुंचायी गयी है। इस संबंध में सहअभियुक्तगण व प्रार्थी/अभियुक्त कैलाश चंद्र मीणा के

टेलीफोन से वार्तालाप होने व वाट्सएप चैट होने के तथ्य भी सामने आये हैं। फोन कॉल्स का विश्लेषण अन्वेषण अधिकारी द्वारा किया गया है। अनुसंधान के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर प्रवीण कुमार लाम्बा के मामले में अनुचित साधन से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए अनुचित लाभ/रिश्वत के लेन–देन का भी आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रिश्वत की राशि 1,00,000/– रूपये से बढ़ाकर 1,25,000/– रूपये करने के तथ्य की पुष्टि इंटरसेप्ट वॉईस कॉल, टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड व मनीष कुमार शर्मा के बयान से भी होती है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस ने धारा 61(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सपठित धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अनिधियम, 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) व मूल अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अनिधियम, 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध गंभीर किस्म के हैं व उसके विरुद्ध धारा 193(9) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मे तहत अन्वेषण जारी है। प्रार्थी/अभियुक्त कैलाश चंद्र मीणा की फर्द गिरफ्तारी में उसकी गिरफ्तारी के कारण व गिरफ्तारी के आधारों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। केस डायरी व प्रार्थी/अभियुक्त की फर्द गिरफ्तारी के अवलोकन से इस स्तर पर यह प्रथम दृष्टया नही माना जा सकता है कि धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित प्रावधानों की पालना अन्वेषण अधिकारी ने नही की हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत विनिश्चय के आधार पर धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही करने के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी

नही माना जा सकता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त कैलाश चंद्र मीणा का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

65. इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त विजय गोयल, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उस पर यह आरोप है कि उसने गोकुल कृपा समूह के मामले में कुल 13 अपीलों व 13 क्रॉस आब्जेक्शन गोकुल कृपा कॉलोनाइजर्स व डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर के पक्ष में निर्णीत करवाने हेतु 50 लाख रूपये लिये, जिसमें से 30 लाख रूपये एस. सीतालक्ष्मी व 20 लाख रूपये बैंच के अन्य सदस्य कैलाश राठौड़ को दिये। उक्त 20 लाख रूपये कैलाश राठौड़ के घर से व 30 लाख रूपये एस. सीतालक्ष्मी के निवास से उसके सरकारी वाहन से बरामद हुए। अन्वेषण के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि गोकुल कृपा समूह के निदेशक सुमेर सिंह सैनी ने प्रार्थी/अभियुक्त विजय गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म मैसर्स पी.के. जैन एण्ड कंपनी को उनके मामलों की पैरवी के लिए नियुक्त किया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त विजय गोयल ने गोकुल कृपा समूह के पक्ष में दिनांक 13.11.2025 को निर्णय करवाकर 90 करोड़ की पैनल्टी राशि माफ करवा दी। वाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड से यह स्पष्ट हुआ है कि आदेश पारित होने के दिन ही प्रार्थी/अभियुक्त विजय गोयल ने आदेश की प्रति सुमेर सिंह सैनी को भेज दी थी। इस पर सुमेर सिंह सैनी द्वारा रिश्वत की राशि विजय गोयल को देने का तथ्य भी अनुसंधान में सामने आया है। अन्वेषण के दौरान पुलिस ने विजय गोयल के आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को जब्त किया है तथा अधिकरण की न्यायिक सदस्य एस. सीतालक्ष्मी के कार चालक मुकेश कुमार डाबोरिया के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान लेखबद्ध करवाये गये हैं व डॉ. एस. सीतालक्ष्मी के घर के सदस्य आकाश कुमार

दास के धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान लेखबद्ध किये गये हैं। उनके अवलोकन से अन्वेषण के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त विजय गोयल के अधिकरण के न्यायिक सदस्य व अन्य सदस्यों के बीच अच्छे सम्पर्क थे और जिस दिन न्यायिक सदस्य एस. सीतालक्ष्मी के घर से सरकारी वाहन से 30 लाख रूपये बरामद किये गये, उसी दिन उक्त 30 लाख रूपये प्रार्थी/अभियुक्त विजय गोयल द्वारा एस. सीतालक्ष्मी को स्वयं के निवास पर दिये गये थे। एस. सीतालक्ष्मी के प्रार्थी/अभियुक्त वियज गोयल के घर से अपने निवास पर जाते समय 30 लाख रूपये काले बैग में थे। उक्त 30 लाख रूपये एस. सीतालक्ष्मी के निवास से उसके सरकारी वाहन से बरामद हुए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त विजय गोयल के विरुद्ध आरोपित अपराध की पुष्टि प्रार्थी/अभियुक्त के आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, कॉल डिटेल्स, वाट्सएप चैट्स, कॉल लॉग व स्वतंत्र गवाहों के बयानों से होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त विजय गोयल के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता सपठित धारा 8, 9, 10 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) एवं मूल अपराध 8 व 10 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनना पाया गया है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

66. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

67. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. एस. सीतालक्ष्मी पत्नी एम. देवेन्द्र 2. मुजम्मिल पुत्र मोहम्मद यामीन 3. राजेन्द्र सिसोदिया पुत्र लाल सिंह सिसोदिया 4. कैलाश चंद्र मीणा पुत्र स्व. राम कुमार मीणा 5. विजय गोयल पुत्र हरीश चंद्र गोयल** की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाते हैं।

68. चूंकि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं, ऐसे में विद्वान विचारण न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान प्राथमिकता से लेखबद्ध कर प्रकरण के त्वरित निस्तारण का प्रयास करें।

69. इस आदेश में दिया गया कोई भी मत प्रकरण के विचारण न्यायालय के द्वारा विचारण में तथा अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान में कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इस आदेश में दिये गये मत से प्रभावित हुए बिना अनुसंधान अधिकारी व विचारण न्यायालय प्रकरण में विधिनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /Res.